

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-31

जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2017 को दिया जाना है ।

उत्तराखण्ड में विद्युत परियोजनाओं हेतु संस्वीकृति

*31. श्री महेन्द्र सिंह माहरा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत एक वर्ष के दौरान सरकार को उत्तराखण्ड सरकार तथा गैर-सरकारी क्षेत्र से प्राप्त हुई नई विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में प्राप्त सभी अनुरोध स्वीकार कर लिए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो स्वीकृति नहीं दिये जाने के कारण क्या हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"उत्तराखंड में विद्युत परियोजनाओं हेतु संस्वीकृति" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 06.02.2017 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 31 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ग) : जल विद्युत स्टेशन की स्थापना करने का इरादा रखने वाली उत्पादन कंपनी को 1000 करोड़ रुपए और उससे अधिक पूंजी व्यय वाली परियोजनाओं के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की स्वीकृति प्राप्त करना अपेक्षित है। उत्तराखंड में स्थापित की जाने वाली जल विद्युत परियोजना की कोई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट गत एक वर्ष के दौरान केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुमोदन के लिए उत्तराखंड सरकार और निजी क्षेत्र से प्राप्त नहीं हुई है।

तथापि, चालू वर्ष (2016-17) में उत्तराखंड से नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) में अनुबंध में दिए गए ब्यौरे के अनुसार परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

"उत्तराखंड में विद्युत परियोजनाओं हेतु संस्वीकृति" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 06.02.2017 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 31 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित अनुबंध।

चालू वर्ष 2016-17 में उत्तराखंड में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में प्राप्त परियोजना प्रस्ताव

क्रम सं.	स्थान सहित परियोजना का नाम	क्षमता (किलोवाट)	स्थिति	अस्वीकृति के लिए कारण	कार्यान्वयन एजेंसी
1.	बीजापुर कैनाल एमएचपी, देहरादून	2x50=100	स्वीकृत		उत्तराखंड प्रोजेक्ट डेवलेपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीडीसीसी)
2.	बहादुराबाद एमएचपी, हरिद्वार	2x200=400	परीक्षाधीन	मंत्रालय ने 63.47 लाख (33.47 लाख रु. एमएनआरई हिस्सा) की परियोजना लागत से 1987 में 2x125 मेगावाट की क्षमता के साथ उसी स्थान पर परियोजना मंजूर की थी। बाद में परियोजना को छोड़ दिया गया था। औचित्य की आवश्यकता थी।	यूपीडीसीसी
3.	कोशी एमएचपी. अल्मोड़ा	1x500=500	परीक्षाधीन	वैधानिक स्वीकृतियों के लिए संबंधित दस्तावेजों की प्रति अभी प्राप्त की जानी है।	यूपीडीसीसी
4.	पुरूकुल एसएचपी	2x500=1000	परीक्षाधीन	डिस्चार्ज जैसे आंकड़े तथा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह जांचाधीन। प्रक्रियाधीन।	यूजेवीएन लिमिटेड
5.	नाडा एमएचपी	1x50=50	परीक्षाधीन	डिस्चार्ज जैसे आंकड़े तथा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह जांचाधीन। प्रक्रियाधीन।	यूजेवीएन लिमिटेड
	कुल=	2050 किलोवाट			

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-42

जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2017 को दिया जाना है ।

विद्युतीकृत गांव की परिभाषा

*42. श्री मो. नदीमूल हक:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विद्युतीकृत गांव की परिभाषा क्या है;

(ख) क्या सरकार के आकलन के अनुसार देश में लगभग अठारह हजार गांवों को विद्युतीकृत कर दिया गया है;

(ग) किसी गांव में उन घरों की प्रतिशतता कितनी है जिनमें विद्युत कनेक्शन की आवश्यकता है और सरकार द्वारा विद्युतीकृत गांव की दी गई परिभाषा के अनुसार विद्युत आपूर्ति के न्यूनतम घंटे एवं विद्युत उपयोग आदि के न्यूनतम घंटे क्या-क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार 'विद्युतीकृत गांव' की परिभाषा में ऐसे मानकों, यदि वे अब तक विनिर्दिष्ट नहीं हैं, को विनिर्दिष्ट करने की योजना बना रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"विद्युतीकृत गांव की परिभाषा" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 06.02.2017 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 42 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (घ) : किसी गांव को 'विद्युतीकृत' तभी घोषित किया जाता है जब:

- (i) मूल अवसंरचना जैसे कि वितरण ट्रांसफार्मर और वितरण लाइनें, बसावट वाले स्थानों तथा दलित बस्ती/वासस्थल, जहां पर ये स्थित हैं, (गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विद्युतीकरण हेतु, वितरण ट्रांसफार्मर आवश्यक नहीं हैं) पर उपलब्ध करवाई जाती हैं।
- (ii) विद्युत स्कूलों, पंचायत कार्यालय, स्वास्थ्य केंद्रों, औषधालयों, सामुदायिक केंद्रों आदि जैसे सार्वजनिक स्थानों पर उपलब्ध कराई जाती है।
- (iii) विद्युतीकृत घरों की संख्या उस गांव में घरों की कुल संख्या की कम से कम 10% होनी चाहिए।

गांव का विद्युतीकरण पूरा होने के संबंध में ग्राम पंचायत से अनिवार्य प्रमाणीकरण भी अपेक्षित होता है।

राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिनांक 01.04.2015 को देश में 18,452 गैर-विद्युतीकृत गांव थे। इनमें से, दिनांक 30.01.2017 की स्थिति के अनुसार 11,931 गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है। शेष गांवों को मई, 2018 तक विद्युतीकृत किए जाने का लक्ष्य है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-393

जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2017 को दिया जाना है ।

विद्युत उत्पादन में वृद्धि

393. श्री महेश पोद्दार:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि विगत पांच वर्षों में ताप विद्युत, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा एवं जल विद्युत के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है और यदि हां, तो इसका वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ख) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय स्तर पर इन विद्युत क्षेत्रों में विकास की कई योजनाएं प्रस्तावित हैं और यदि हां, तो विद्युत उत्पादन के लिए प्रस्तावित योजनाओं का, राज्य-वार, स्रोत-वार और क्षमता-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी हाँ। पिछले 5 वर्षों के दौरान ताप, सौर, नाभिकीय और जल विद्युत के उत्पादन में समग्र रूप से वृद्धि हुई है। ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ख) : निम्नलिखित उत्पादन विकास उन्मुखी योजनाएं राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति पर हैं।

- (i) वर्तमान में, 71,000 मेगावाट कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र, 13267.5 मेगावाट जल विद्युत क्षमता, 7700 मेगावाट नाभिकीय क्षमता (केंद्रीय क्षेत्र) निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। गैस आधारित ताप विद्युत स्टेशनों के संबंध में 956.03 मेगावाट क्षमता जोड़ी जा रही है।
- (ii) देश में गैस आधारित स्ट्रैंडिड विद्युत उत्पादन क्षमता का पुनरुद्धार करने और उपयोगिता में सुधार करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए गैस आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता के उपयोग के लिए पीएसडीएफ (विद्युत प्रणाली विकास निधि) की सहायता से एक योजना संस्वीकृत की है। इस योजना में रिवर्स ई-बोली प्रक्रिया के जरिए चुने गए गैस आधारित स्ट्रैंडिड संयंत्रों के साथ-साथ घरेलू गैस प्राप्त करने वाले संयंत्रों को आयातित पुनःगैसीकृत द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (आरएलएनजी) की आपूर्ति की परिकल्पना की गई है।
- (iii) राज्य डिस्कॉमों की प्रचालनात्मक और वित्तीय दक्षता में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के वित्तीय टर्न अराउंड और प्रचालनात्मक सुधार की एक योजना उदय (उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना) अनुमोदित की गई है जिससे वे उत्पादकों से और अधिक विद्युत का प्रापण कर सकेंगे।
- (iv) राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से शुरू की गई 'सभी के लिए 24x7 विद्युत' पहल से विद्युत की पहुंच में वृद्धि होगी और तदनुसार विद्युत की मांग भी बढ़ेगी जिससे विद्युत उत्पादन की उपयोगिता में वृद्धि होगी। 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में से 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए पहले ही योजना तैयार की जा चुकी है और कार्यान्वयनाधीन है।

राज्य सभा में दिनांक 06.02.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 393 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

2010-11 से 2015-16 में विद्युत उत्पादन रिपोर्ट में वृद्धि

श्रेणी	31.12.2016 की स्थिति के अनुसार निगरानी की गई क्षमता (मेगावाट)	अखिल भारतीय वास्तविक उत्पादन											
		2015-16	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि %	2014-15	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि %	2013-14	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि %	2012-13	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि %	2011-12	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि %	2010-11	आधार वर्ष 2010-11 के संदर्भ में समग्र वृद्धि
थर्मल	214578.06	943787.70	7.45	878320.01	10.83	792477.11	4.18	760675.80	7.32	708805.94	6.59	665008.13	41.92
न्यूक्लियर	5780	37413.62	3.63	36101.54	5.47	34227.79	4.14	32866.11	1.80	32286.56	22.92	26266.40	42.44
हाइड्रो	43139.42	121376.75	-6.09	129243.68	-4.16	134847.52	18.58	113720.29	-12.86	130509.52	14.22	114257.36	6.23
सौर		7447.92	61.95	4599.02									

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-394

जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2017 को दिया जाना है।

ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रगति

394. श्री महेश पोद्दार:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत ढाई वर्ष में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण की दिशा में हुई प्रगति, और लक्ष्यों तथा इस संबंध में भावी योजनाओं का ब्यौरा क्या है? और

(ख) विगत ढाई साल के दौरान झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण की दिशा में हुई प्रगति, और लक्ष्यों तथा इस संबंध में भावी योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी हाँ। राज्य विद्युत यूटिलिटीयों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले ढाई वर्ष के दौरान गैर-विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण की प्रगति निम्नानुसार है:

क्रम सं.	वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
1	वित्तीय वर्ष 2014-15	1900	1405 (73%)
2	वित्तीय वर्ष 2015-16	5686	7108 (125%)
3	वित्तीय वर्ष 2016-17 (31.12.2016 तक)	8360	4423 (53%)

पिछले तीन वर्षों के दौरान गैर-विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण की प्रगति निम्नानुसार है:

क्रम सं.	वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
1	वित्तीय वर्ष 2011-12	14500	7285 (50%)

2	वित्तीय वर्ष 2012-13	6000	2587 (43%)
3	वित्तीय वर्ष 2013-14	3300	1197 (36%)

(ख) : झारखंड सरकार द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार 01.04.2015 को 2525 गैर-विद्युतीकृत गांव थे। इनमें से 31.12.2016 तक 1446 गांवों को विद्युतीकृत किया गया है। शेष गांवों का विद्युतीकरण मई, 2018 तक किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

राज्य विद्युत यूटिलिटी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले ढाई वर्षों के दौरान झारखंड में गैर-विद्युतीकृत गांवों की विद्युतीकरण की प्रगति निम्नानुसार है:

क्रम सं.	वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
1	वित्तीय वर्ष 2014-15	759	161
2	वित्तीय वर्ष 2015-16	1232	750
3	वित्तीय वर्ष 2016-17 (31.12.2016 तक)	1314	696

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-395

जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2017 को दिया जाना है ।

विद्युत ऊर्जा खपत का अनुमान

395. श्री किरनमय नन्दा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने देश के सभी घरों के ग्रिड विद्युत से जुड़ जाने पर विद्युत ऊर्जा की राज्य-वार खपत का अनुमान लगाया है;
- (ख) यदि हां, तो आवश्यक विद्युत का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ग) विद्युत ऊर्जा की लक्षित मांग को पूरा करने की योजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी हां। सरकार ने 19वें इलेक्ट्रिक पावर सर्वे (ईपीएस) के अंतर्गत विद्युत ऊर्जा की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विद्युत खपत का अनुमान लगाया है। वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक के लिए राज्य-वार एवं वर्ष-वार अपेक्षित विद्युत के ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।

(ग) : प्रारूप राष्ट्रीय विद्युत नीति (एनईपी) के अनुसार, (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 175 गीगावाट क्षमता सहित) मार्च, 2022 तक उत्पादन क्षमता लगभग 523 गीगावाट होने की संभावना है। इससे वर्ष 2021-22 की व्यस्ततम मांग और ऊर्जा मांग को पूरा किए जाने की संभावना है।

राज्य सभा में दिनांक 06.02.2017 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 395 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

2016-17 से 2021-22 में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार इलैक्ट्रिकल ऊर्जा आवश्यकता (एक्स-बस) (यूटिलिटियां) (एमयू)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
दिल्ली	31937	33070	34201	35380	36573	37778
हरियाणा	48991	51254	54062	57083	60336	63618
हिमाचल प्रदेश	9726	10116	10523	10949	11394	11866
जम्मू व कश्मीर	14871	15543	16283	17109	18017	18819
पंजाब	54118	57548	61076	64730	68502	72392
राजस्थान	73222	76569	79485	83168	87051	91216
उत्तर प्रदेश	108070	115688	123951	132476	141426	150797
उत्तराखंड	13712	14766	15880	17007	18181	19406
चंडीगढ़	1876	1997	2070	2145	2223	2304
उत्तरी क्षेत्र	356521	376550	397530	420047	443704	468196
गोवा	4236	4529	4802	5068	5332	5593
गुजरात	98376	105823	113187	120693	128368	136159
छत्तीसगढ़	27167	29171	31383	33463	35559	37840
मध्य प्रदेश	68588	75209	81732	88022	94301	99871
महाराष्ट्र	145396	153331	161926	171313	180338	189983
दादरा एवं नागर हवेली	6550	7100	7653	8210	8775	9343
दमन व दीव	1991	2179	2327	2449	2577	2712
पश्चिमी क्षेत्र	352304	377343	403010	429217	455250	481501
आंध्र प्रदेश	54673	58846	63290	68034	73090	78540
तेलंगाना	52695	61102	67680	75164	80700	84603
कर्नाटक	66146	69808	73636	77532	81622	85932
केरल	24622	25875	27184	28535	29924	31371
तमिलनाडु	105923	111583	117505	123724	130189	136643
पुडुचेरी	2990	3121	3254	3387	3521	3664
दक्षिणी क्षेत्र	307047	330336	352549	376376	399047	420753
बिहार	21599	27352	28637	31017	35152	38416
झारखंड	22847	24266	25880	27488	29052	30649
ओडिशा	26028	27575	29124	30302	31224	32164
पश्चिम बंगाल	57342	59148	61485	63979	66634	69361
सिक्किम	484	520	548	577	607	638
पूर्वी क्षेत्र	128300	138862	145674	153363	162669	171228
असम	8997	9870	10831	11894	12959	14051
मणिपुर	1240	1419	1592	1769	1925	2103
मेघालय	2094	2168	2242	2378	2470	2566
नागालैंड	815	866	930	992	1059	1129
त्रिपुरा	1265	1328	1394	1456	1525	1595
अरुणाचल प्रदेश	886	982	1089	1210	1345	1498
मिजोरम	580	628	681	737	799	866
पूर्वोत्तर क्षेत्र	15876	17261	18758	20437	22083	23809
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	329	356	385	414	446	475
लक्षद्वीप	52	54	55	57	59	62
अखिल भारत (इलैक्ट्रिकल ऊर्जा आवश्यकता)	11,60,429	12,40,760	13,17,962	13,99,913	14,83,257	15,66,023

2016-17 से 2021-22 में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार व्यस्ततम ऊर्जा मांग (एक्स-बस) (यूटिलिटियां) (मेगावाट)						
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
दिल्ली	6318	6541	6764	6997	7233	7471
हरियाणा	9428	9861	10397	10975	11596	12222
हिमाचल प्रदेश	1555	1618	1683	1751	1822	1898
जम्मू व कश्मीर	2278	2414	2565	2733	2920	3095
पंजाब	11551	12283	12914	13559	14216	14886
राजस्थान	11535	12070	12540	13133	13761	14435
उत्तर प्रदेश	16067	17379	18821	20334	21948	23664
उत्तराखंड	2153	2338	2536	2739	2953	3180
चंडीगढ़	400	425	441	457	474	491
उत्तरी क्षेत्र	55596	58899	62279	65919	69766	73770
गोवा	624	674	721	767	813	858
गुजरात	15373	16558	17734	18937	20172	21429
छत्तीसगढ़	4348	4697	5080	5442	5809	6208
मध्य प्रदेश	10766	11805	12829	13816	14802	15676
महाराष्ट्र	20446	22491	23953	25544	27148	28866
दादरा व नागर हवेली	861	943	1026	1112	1201	1291
दमन व दीव	313	343	366	385	405	426
पश्चिमी क्षेत्र	50141	54673	58654	62728	66847	71020
आंध्र प्रदेश	8245	8874	9544	10259	11021	11843
तेलंगाना	8300	10011	11262	12712	13757	14499
कर्नाटक	10895	11517	12169	12834	13534	14271
केरल	4131	4341	4561	4788	5021	5263
तमिलनाडु	15412	16299	17230	18213	19240	20273
पुडुचेरी	476	497	518	539	561	583
दक्षिणी क्षेत्र	44782	48635	52171	56007	59581	62975
बिहार	3607	4733	4904	5308	6016	6576
झारखंड	3905	4175	4378	4656	4915	5193
ओडिशा	4306	4560	4816	5016	5176	5340
पश्चिम बंगाल	10383	10817	11267	11724	12191	12688
सिक्किम	129	139	146	154	162	170
पूर्वी क्षेत्र	20883	22849	23868	25130	26633	28046
असम	1550	1906	2091	2297	2502	2713
मणिपुर	232	267	303	339	372	410
मेघालय	399	413	427	453	470	488
नागालैंड	166	177	191	204	219	234
त्रिपुरा	297	315	333	351	371	391
अरुणाचल प्रदेश	164	182	202	224	249	278
मिजोरम	118	127	137	148	159	171
पूर्वोत्तर क्षेत्र	2810	3252	3537	3856	4170	4499
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	67	73	78	84	91	97
लक्षद्वीप	10	10	10	11	11	11
अखिल भारत (व्यस्ततम विद्युत मांग)	161,834	176,897	188,360	200,696	213,244	225,751

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-396

जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2017 को दिया जाना है ।

आरजीजीवीवाई के अधीन कार्यों के लिए बकाया राशि का भुगतान

396. श्री नीरज शेखर:

क्या विद्युत मंत्री दिनांक 21 नवंबर, 2016 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 566 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि आरजीजीवीवाई के अंतर्गत दिए गए ठेके छोटी कंपनियों को पीपरिया के तहत एमपीएमकेवीवीसीएल-भोपाल मंडल में एचवीडीएस कार्य की विभिन्न सामग्री के उपकरणों/उपस्करों के निर्माण के लिए पत्र सं. एलएलसीएल/एमपीएमकेवीवीसीएल/ इरेक्शन/2010-11 द्वारा उप-किरायेदारी के आधार पर दे दिये गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि ठेका प्राप्त कंपनियों ने उक्त स्थल पर कार्य की पूर्णता के बावजूद छोटी कंपनियों के बकायों के भुगतान को मनमाने ढंग से रोक रखा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार चूककर्ता कंपनियों के विरुद्ध इस संबंध में क्या-क्या कार्रवाई करेगी?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एमपीएमकेवीवीसीएल) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) अब दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) में समाहित के अंतर्गत पिपरिया के तहत एमपीएमकेवीवीसीएल-भोपाल सर्किल में एचवीडीएस कार्य के लिए सामग्री/विभिन्न सामग्रियों के उपकरण स्थापित करने की कोई संविदा छोटी कंपनियों को अवार्ड नहीं की गई है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-397

जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2017 को दिया जाना है ।

देश में विद्युत उत्पादन

397. श्री पि. भट्टाचार्य:

श्रीमती रजनी पाटिल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न स्रोतों से कुल कितना विद्युत उत्पादन किया गया, तत्संबंधी स्रोत-वार, वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश के विभिन्न भागों में विद्युत की अत्यधिक कमी रही है, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न उद्योग बंद होने के कगार पर हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी राज्य-वार और संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस स्थिति को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : विगत तीन वर्षों के दौरान देश में विभिन्न स्रोतों से स्रोत-वार, वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार उत्पादित कुल विद्युत अनुबंध में दी गई है।

(ख) और (ग) : जी नहीं।

(घ) : देश में विद्युत उपलब्धता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- (i) 12वीं योजना अवधि (2012-17) के दौरान पारंपरिक स्रोतों से 88,537 मेगावाट के लक्ष्य की तुलना में लगभग 92,415 मेगावाट क्षमता की अभिवृद्धि की गई तथा 31 दिसंबर, 2016 तक

नवीकरणीय स्रोतों से 30,000 मेगावाट के लक्ष्य की तुलना में लगभग 22,279 मेगावाट क्षमता की अभिवृद्धि हासिल कर ली गई है।

- (ii) विद्युत संयंत्रों को घरेलू कोयले की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। अप्रैल-दिसंबर, 2016 की अवधि के दौरान, पिछले वर्ष की उसी अवधि की तुलना में विद्युत संयंत्रों को घरेलू कोयले की आपूर्ति में लगभग 1.6% की वृद्धि हुई है।
- (iii) 12वीं योजना अवधि (2012-17) के दौरान 31 दिसंबर, 2016 तक 1,07,440 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइनों के लक्ष्य की तुलना में 1,04,640 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइनें तथा 2,82,750 एमवीए ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता के लक्ष्य की तुलना में 2,96,933 एमवीए ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता पूरी कर दी गई है।
- (iv) भारत सरकार ने राज्यों की साझेदारी से सभी को 24x7 विद्युत (पीएफए) उपलब्ध कराने हेतु राज्य विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार करने की पहल की है।
- (v) उप-पारेषण तथा वितरण नेटवर्कों को सुदृढ़ करने तथा पर्याप्त एवं विश्वसनीय आपूर्ति करने और लाइनों की हानियों को कम करने के लिए कृषि फीडर्स को पृथक करने हेतु भारत सरकार द्वारा दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) तथा एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) नामक दो नई योजनाओं की शुरुआत की गई है।
- (vi) भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा दक्षता तथा अन्य मांग पक्ष प्रबंधन उपायों के संवर्धन के लिए कई कदम उठाए हैं।
- (vii) केंद्र सरकार ने डिस्कॉमों के प्रचालनात्मक तथा वित्तीय परिवर्तन के लिए 20.11.2015 को उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) अधिसूचित की है।
- (viii) भारत सरकार ने उत्पादन तथा पारेषण परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किए जाने को सुविधाजनक बनाने के लिए पर्यावरणीय एवं वन स्वीकृतियों से संबंधित मुद्दों के शीघ्र समाधान के लिए कदम उठाए हैं।
- (ix) भारत सरकार ने स्ट्रैंडेड गैस आधारित उत्पादन के प्रचालनीकरण के लिए विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) से सहायता मुहैया कराते हुए एक योजना शुरु की है।

राज्य सभा में दिनांक 06.02.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 397 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

2013-14 से 2016-17 (दिसंबर, 2016 तक) में स्रोत-वार और राज्य-वार उत्पादन

श्रेणी	राज्य	31.12.2016 की स्थिति के अनुसार निगरानी की गई क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन (एमयू)			
			2016-17 (दिसं.,16 तक)*	2015-16	2014-15	2013-14
हाइड्रो	बीबीएमबी	2866.3	8767	11818.9	10599.78	12125.01
	हिमाचल प्रदेश	6733.02	24559.41	27087.49	23319.13	21680.66
	जम्मू एवं कश्मीर	3119	12749.74	15136.15	14485.02	12426.79
	पंजाब	1051	2859.22	4327.84	4039.07	3913.52
	राजस्थान	411	601.48	1033.8	863.33	1059.98
	उत्तर प्रदेश	501.6	915.77	935.08	1247.69	1241.73
	उत्तराखण्ड	3756.35	11246.34	12765.92	11439.22	11025.01
		18438.27	61698.96	73105.18	65993.24	63472.7
	छत्तीसगढ़	120	148.08	323.3	258.18	251.51
	गुजरात	1990	3462.25	2951.85	3811.58	7106.29
	मध्य प्रदेश	2395	5842.68	4869.82	6299.75	9215.93
	महाराष्ट्र	2887	3934.62	4700.37	5287.88	6255.03
		7392	13387.63	12845.34	15657.39	22828.76
	आंध्र प्रदेश	1100	638.01	671.33	1862.48	2026.57
	कर्नाटक	3657.4	4417.27	7479.37	13160.29	13026.82
	केरल	1881.5	3223	6363.75	6852.65	7708.18
	तमिलनाडु	2203.2	2048.26	4474.27	5058.95	4994.75
	तेलंगाना	2766.6	1513.22	1515.47	4400.92	4502.16
		11608.7	11839.76	20504.19	31335.29	32258.48
	डीवीसी	143.2	220.18	176.51	267.3	225.63
	झारखण्ड	130	30.13	51.24	33.73	109.53
	ओडिशा	2142.25	3879.8	4910.34	6919.49	7547.45
	सिक्किम	765	3647.24	3551.92	3345.29	2945.38
	पश्चिम बंगाल	1278	2328.95	2025.33	2149.81	1395.56
		4458.45	10106.3	10715.34	12715.62	12223.55
	अरुणाचल प्रदेश	405	1142.86	1280.25	1109.48	980.94
	असम	325	1305.04	1190.68	1031.89	1215.95
	मणिपुर	105	627.88	536.64	372.44	639.84
	मेघालय	332	842.26	1035.99	863.15	981.61
	नागालैंड	75	243.16	163.14	165.15	245.71
		1242	4161.2	4206.7	3542.11	4064.05
	भूटान (आयात)		5456.68	5244.21	5007.74	5597.9
			5456.68	5244.21	5007.74	5597.9
हाइड्रो कुल		43139.42	106650.53	126620.96	134251.39	140445.44

थर्मल	दिल्ली	3048.4	5180.78	6206.1	8722.83	8637.67
	हरियाणा	5971.59	15118.09	22247.14	28748.61	26374.22
	जम्मू एवं कश्मीर	175	0	0	0	0
	पंजाब	6540	18577.27	19015.05	18921.83	16817.97
	राजस्थान	8863.13	32578.78	44494.31	45600.2	35558.25
	उत्तर प्रदेश	21876.14	87203.87	106961.85	107763.51	107897.78
	उत्तराखण्ड	450	445.97			
		46924.26	159104.76	198924.45	209756.98	195285.89
	छत्तीसगढ़	20308	76460.44	89189.99	79452.39	70678.61
	गोवा	48	0	0	12.61	241.32
	गुजरात	23657.41	71420.13	99937.24	98197.56	86339.97
	मध्य प्रदेश	17065	66288.61	90870.68	68912.72	50430.94
	महाराष्ट्र	26696	74684.34	102154.92	91751.44	78560.37
		87774.41	288853.52	382152.83	338326.72	286251.21
	आंध्र प्रदेश	15247.2	47737.86	57559.26	43382.94	43500.28
	कर्नाटक	7314.42	22286.68	32401.17	30540.83	29798.63
	केरल	693.54	62.25	289.59	1181.52	1541.62
	पुडुचेरी	32.5	183.32	227.59	102.14	256.97
	तमिलनाडु	14638.88	53174.38	66460.8	61132.31	55100.82
	तेलंगाना	6682.5	28842.41	35352.73	36501.05	34650.71
		44609.04	152286.9	192291.14	172840.79	164849.03
	अंडमान निकोबार	40.05	151.52	182.85	153.76	171.49
	बिहार	4535	18271.76	20827.01	18272.27	14939.36
	डीवीसी	7770	24498.02	27853.42	25283.81	27889.66
	झारखण्ड	2825	11212.25	15882.43	14588.15	14235.65
	ओडिशा	8880	38873.63	52311.46	44412.95	38664.74
	पश्चिम बंगाल	9175	37150.3	44921.29	47592.21	44674.32
		33225.05	130157.48	161978.46	150303.15	140575.22
	असम	877.2	3371.74	3331.44	3267.95	3149.27
	मणिपुर	36	0	0	0	0
	त्रिपुरा	1132.1	4303.45	5109.38	3824.44	2366.49
		2045.3	7675.19	8440.82	7092.39	5515.76
	थर्मल कुल	214578.06	738077.85	943787.7	878320.03	792477.11
न्यूक्लियर	राजस्थान	1180	5283.3	8419.24	7722.39	9233.13
	उत्तर प्रदेश	440	2404.05	3432.6	2890.54	2703.5
		1620	7687.35	11851.84	10612.93	11936.63
	गुजरात	440	0	2028.17	3529.4	3752.43
	महाराष्ट्र	1400	7864.3	10389.14	10269.89	9884.54
		1840	7864.3	12417.31	13799.29	13636.97
	कर्नाटक	880	4809.77	7672.71	6462.17	6539.06
	तमिलनाडु	1440	7871.91	5471.76	5227.15	2115.13
		2320	12681.68	13144.47	11689.32	8654.19
	न्यूक्लियर कुल	5780	28233.33	37413.62	36101.54	34227.79
सकल योग		263497.48	872961.71	1107822.28	1048672.96	967150.34

* वास्तविक-सह-मूल्यांकन पर आधारित अनंतिम आंकड़े

- टिप्पणी: 1. केवल 25 मे.वा. एवं इससे अधिक के पारंपरिक स्रोतों (ताप, जल और न्यूक्लियर ऊर्जा) से उत्पादन
2. उपरोक्त आंकड़े संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भौगोलिक रूप से स्थित सभी विद्युत स्टेशनों (केंद्रीय, राज्य और निजी क्षेत्र) के सकल उत्पादन को दर्शाते हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-398

जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2017 को दिया जाना है ।

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का विस्तार

398. श्रीमती रानी नाराहः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत कुल कितने गैर-विद्युतीकृत गांवों को शामिल किया जाएगा;
- (ख) डीडीयूजीजेवाई के अन्तर्गत कुल कितने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को शामिल किया जा रहा है;
- (ग) डीडीयूजीजेवाई के अन्तर्गत गैर-विद्युतीकृत गांवों के लिए कुल कितनी परियोजनाएं हैं; और
- (घ) डीडीयूजीजेवाई के अन्तर्गत कुल परियोजना लागत कितनी है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

- (क) : 1 अप्रैल, 2015 से दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत शामिल किए जाने के लिए शेष 17,741 गैर-विद्युतीकृत गांवों का लक्ष्य है।
- (ख) : डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत 4.27 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) घरों के लिए संस्वीकृति दी गई है।
- (ग) : गैर-विद्युतीकृत गांव के विद्युतीकरण सहित विभिन्न ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत 15.01.2017 तक 5,775 परियोजना संस्वीकृत की गई हैं।
- (घ) : इसके आरई घटक सहित डीडीयूजीजेवाई की परियोजना लागत 75,893 करोड़ रूपए है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-399

जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2017 को दिया जाना है ।

विद्युत उत्पादन और नुकसान

399. श्रीमती कानीमोझी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में विगत तीन वर्षों के दौरान कितनी-कितनी मात्रा में विद्युत का उत्पादन, वितरण, बिक्री और नुकसान हुआ है; और
- (ख) विद्युत के पारेषण और वितरण नुकसान को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या उपाय किए गए हैं/योजनाएं बनाई गई हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के दौरान देश में उत्पादित वितरित, बेची गई और चोरी हुई विद्युत की मात्रा अनुबंध में दी गई है।

(ख) : पर्याप्त और विश्वसनीय आपूर्ति देने तथा लाइन हानियों को कम करने के लिए उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण तथा कृषि फीडरों को पृथक्करण के लिए भारत सरकार द्वारा दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) नामक दो नई योजनाएं शुरू की गई हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के अंतर्गत 2018-19 तक सकल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानि को घटाकर 15% करने का लक्ष्य है।

राज्य सभा में दिनांक 06.02.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 399 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

अखिल भारतीय उत्पादित, खरीदी गई, बेची गई इलैक्ट्रिकल ऊर्जा और हुई हानियां

क्रम सं.	मद	ऊर्जा (जीडब्ल्यूएच)		
		2013-14	2014-15	2015-16 **
1	उत्पादित सकल ऊर्जा (यूटिलिटियां)	1026648.58	1116849.92	1167584.03
2	सहायक विद्युत स्टेशनों में उपयोग की गई ऊर्जा	70160.66	76268.03	79302.46
3	बस बार में निवल ऊर्जा (1-2)	956487.92	1040581.88	1088281.57
4	गैर-यूटिलिटियों से खरीदी गई ऊर्जा	14000.73	13196.69	13919.5
5	अन्य देशों से आयातित ऊर्जा	5597.90	5007.74	5244.21
6	ऊर्जा उपलब्धता (3+4+5)	976086.55	1058786.32	1107445.28
7	अन्य देशों को निर्यातित ऊर्जा	1651.00	4432.76	5150.3
8	आपूर्ति के लिए उपलब्ध निवल ऊर्जा (6-7)	974435.55	1054353.55	1102294.98
9	* अंतिम उपभोक्ताओं को बेची गई ऊर्जा	751908.25	814250.01	861864.02
10	ट्रांसफॉर्मेशन, पारेषण और वितरण में ऊर्जा हानि तथा अनगिनत के लिए (8-9)	222527.30 (22.84%)	240103.54 (22.77%)	240430.96 (21.81%)

टिप्पणी

- : * कृषि उपभोक्ताओं को मीटर्ड और निर्धारित आपूर्ति शामिल है।
** वर्ष 2015-16 के लिए अनंतिम आंकड़े।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-400

जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2017 को दिया जाना है ।

एलईडी बल्बों की स्वीकार्यता

400. श्री प्रभात झा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि ऊर्जा की कम खपत व गुणवत्ता की दृष्टि से एलईडी बल्ब घरेलू प्रकाश व्यवस्था के लिए पूरे देश में बेहतर एवं सर्वत्र स्वीकार्य बनता जा रहा है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान एलईडी बल्ब की कीमत में काफी कमी आई है और आगे इसमें और कमी होने की संभावना है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : एलईडी बल्ब कम ऊर्जा खपत एवं बेहतर गुणवत्ता के कारण घरेलू प्रकाश व्यवस्था के उद्देश्य से पूरे देश में बेहतर एवं स्वीकार्य होते जा रहे हैं। इसे एलईडी की ल्यूमेन दक्षता के सुधार द्वारा देखा जा सकता है जो कि 1990 के बाद लगभग 5 ल्यूमेन/वाट थी और वर्तमान में 100 ल्यूमेन/वाट से अधिक है। दिनांक 05 जनवरी, 2015 को शुरू की गई सभी के लिए सस्ती एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति (उजाला) स्कीम, जिसका कार्यान्वयन एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, जो कि विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत चार सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संयुक्त उद्यम कंपनी है, ईईएसएल ने देश में दिनांक 02.02.2017 तक 20.48 करोड़ एलईडी बल्बों का वितरण किया है जिससे 26.6 बिलियन केडब्ल्यूएच प्रतिवर्ष की अनुमानित ऊर्जा बचत हुई है। इस स्कीम के अंतर्गत वितरित किए जा रहे एलईडी बल्बों के तकनीकी विनिर्देशन को भी क्रमशः 7 से 9 वाट और 85 ल्यूमेन/वाट से 100 ल्यूमेन/वाट तक बढ़ा दिया गया है।

(ग) और (घ) : ईईएसएल देशभर को मांग को समेकित करता है और यह थोक में खरीद करता है। फरवरी, 2014 से जनवरी, 2017 के दौरान ईईएसएल द्वारा एलईडी बल्बों की खरीद कीमतों में लगभग 88% की कमी आई है अर्थात् प्रति बल्ब 310/- रुपए से घटकर 38/- रुपए (खुदरा कीमत 550 रुपए से घटकर 65 रुपए) हो गई है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-401

जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2017 को दिया जाना है ।

दबावग्रस्त विद्युत परियोजनाएं

401. श्री नारायण लाल पंचारिया:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी कंपनियों की दबावग्रस्त विद्युत परियोजनाओं की पहचान की है;
- (ख) यदि हां, तो आज की तारीख के अनुसार इन परियोजनाओं में फंसी हुई धनराशि सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार, कंपनी-वार और परियोजना/क्षमता-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान अन्य सरकारी और गैर-सरकारी कंपनियों द्वारा अधिगृहीत ऐसी परियोजनाओं की संख्या कितनी है, तत्संबंधी कंपनी-वार और परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार ने ऐसी दबावग्रस्त विद्युत परियोजनाओं में शेयर खरीदने के लिए बैंकों और सरकारी क्षेत्र की नकदी संपन्न कंपनियों को पुनर्निर्माण निधि निर्गत करने के लिए कहा है; और
- (ङ) यदि हां, तो इन बैंकों/कंपनियों की प्रतिक्रिया सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : वित्तीय मामलों के कारण रुकी हुई कुल 18420 मेगावाट क्षमता के 17 निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाएं इन विद्युत परियोजनाओं की लागत और व्यय की गई राशि के सहित राज्य/क्षेत्र-वार, कंपनी-वार और परियोजना/क्षमता-वार ब्यौरे अनुबंध-1 में दिए गए हैं।

विभिन्न कारणों की वजह से कुल 11154.38 मेगावाट क्षमता वाली 17 स्ट्रेस्ड गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं के ब्यौरे अनुबंध-॥ में दिए गए हैं।

वित्तीय मामलों के कारण रूकी हुई कुल 6329 मेगावाट की क्षमता वाली 20 स्ट्रैस्ड जल विद्युत परियोजनाओं की राज्य क्षमता आज की तिथि तक व्यय रुकने के कारणों को दर्शाते हुए ब्यौरे अनुबंध-III में दिए गए हैं।

(ग) : पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान सिक्किम में एक रूकी हुई जल विद्युत परियोजना अर्थात् तीस्ता-IV, एचईपी (6x200=1200 मेगावाट) जिसका पूर्व में निजी क्षेत्र में कार्यान्वयन मैसर्स तीस्ता ऊर्जा लिमिटेड (टीयूएल) द्वारा किया जा रहा था, का अधिग्रहण सिक्किम सरकार द्वारा 26% से 51% तक राशि टीयूएल अगस्त, 2015 में अपनी शेयर धारिता बढ़ाकर अधिग्रहण किया गया। अक्टूबर, 2015 में कार्य पुनः शुरू किया गया और वर्तमान में परियोजना की 5 इकाई चालू की गई हैं। शेष इकाई मार्च, 2017 तक चालू किए जाने के लिए निर्धारित है।

इसके साथ पीएफसी ने संघ में छह देनदारों अर्थात् रूरल इलेक्ट्रिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसी), हाउसिंग एवं अरबन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (हुडको), नेशनल इंश्योरेंस कारपोरेशन लिमिटेड (एनआईसी), देना बैंक, आईएफसीआई लिमिटेड और इंडेलवाइस एआरसी ने अग्रणी वित्तीय निवेशक के रूप में प्रतिभूत शेयरों तथा इक्विटी में पीएफसी के उप ऋणों के आंशिक परिवर्तन के आंशिक आवाहन के माध्यम से 1 जून 2016 श्री महेश्वर हाइडल पावर कारपोरेशन लिमिटेड के 51% शेयरों की अधिकांश इक्विटी अधिग्रहीत की है।

(घ) और (ङ) : जी, हाँ। भारत सरकार ने 28.6.2016 को स्ट्रैस्ड असेट इक्विटी फंड और स्ट्रैस्ड असेस्ट लेन्डिंग फंड के सृजन की संभावना का पता लगाने के लिए पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) और रूरल इलेक्ट्रिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसी) से कहा है।

राज्य सभा में दिनांक 06.02.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 401 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वित्तीय मामलों के कारण रुकी हुई निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य	परियोजना का नाम/कार्यान्वयन एजेंसी	एलओए तिथि	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने की वास्तविक अनुसूची	चालू होने का अनुमानित अनुसूची	परियोजना की लागत (रु. करोड़ में)	व्यय (सीईए में उपलब्ध सूचना के अनुसार) (रु. करोड़)
		<i>निजी क्षेत्र</i>							
1	आंध्र प्रदेश	भवानापडु टीपीपी फेज-1/ईस्ट कोस्ट एनर्जी लि.	सितं-09	यू-1 यू-2	660 660	अक्तू.-13 मार्च-14	17-18 18-19	9343	3785
2	बिहार	जस इंफ्रा. टीपीएस/जेआईसीपीएल	मार्च-11	यू-1 यू-2 यू-3 यू-4	660 660 660 660	अग.-14 दिसं.-14 अप्रै.-15 अग.-15	19-20 20-21 अनिश्चित अनिश्चित	11120	लागू नहीं
3	छत्तीसगढ़	अकलतारा टीपीपी (नैयारा)/केएसके महानदी पावर कंपनी लि.	अप्रै.-09	यू-3 यू-4 यू-5 यू-6	600 600 600 600	दिसं.-12 अप्रै.-13 अग.-13 दिसं.-13	17-18 17-18 17-18 18-19	22874	15543
4	छत्तीसगढ़	उचपिंडा टीपीपी/आरकेएम पावरजेन. प्रा. लि./एसजी-चीना वेस्टर्न टीजी-हबीन चीन	जुलाई-07	यू-3 यू-4	360 360	फर.-13 जुलाई-13	मार्च-17 मई-17	10377 (यूनिट-1 व 2 सहित)	10292 (यूनिट-1 व 2 सहित)
5	छत्तीसगढ़	सिंघीतराई टीपीपी जांजगीर (गांव) चंपा जिला/मैसर्स एथेना छत्तीसगढ़ पावर लि.	जून-11	यू-1 यू-2	600 600	नव.-14 फर.-15	मार्च-17 सितं.-17	8443	6092
6	छत्तीसगढ़	बिंजकोट टीपीपी/एसकेएस पावर जेनरेशन (छत्तीसगढ़) लि.	मार्च-11	यू-3 यू-4	300 300	फर.-14 मई-14	अनिश्चित अनिश्चित	7940 (यूनिट-1 व 2 सहित)	3820 (यूनिट-1 व 2 सहित)
7	छत्तीसगढ़	देवेरी (वीसा) टीपीपी/वीसा पावर लि.	जून-10	यू-1	600	अग.-13	अनिश्चित	6190	2077
8	झारखंड	मैत्रिषी उषा टीपीपी फेज-1/ कारपोरेट पावर लि.	दिसं.-09	यू-1 यू-2	270 270	मई-12 जून-12	17-18 17-18	2900	3120
9	झारखंड	मैत्रिषी उषा टीपीपी फेज-1/ कारपोरेट पावर लि.	मार्च-11	यू-3 यू-4	270 270	फर.-13 मार्च-13	अनिश्चित अनिश्चित	3182	2207
10	झारखंड	तोरी टीपीपी फेज-1/एस्सार पावर लि.	अग.-08	यू-1 यू-2	600 600	जून-13 जन.-15	अनिश्चित अनिश्चित	5700	3883
11	झारखंड	तोरी टीपीपी फेज-1/एस्सार पावर लि.		यू-3	600	अक्तू.-17	अनिश्चित	2500	246
12	महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी फेज-1/रत्न इंडिया पावर प्रा. लि.	अक्तू.-10	यू-1 यू-2 यू-3 यू-4 यू-5	270 270 270 270 270	जुलाई-14 सितं.-14 नव.-14 जन.-15 मार्च-15	20-21 21-22 21-22 21-22 21-22	6646	763

13	महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी फेज-II/रत्न इंडिया नासिक पावर प्रा. लि.	नव.-09	यू-1	270	अप्रै.-13	अनिश्चित	6789	712
				यू-2	270	जून-13	अनिश्चित		
				यू-3	270	अग.-13	अनिश्चित		
				यू-4	270	अक्तू.-13	अनिश्चित		
				यू-5	270	दिसं.-13	अनिश्चित		
14	महाराष्ट्र	बिजोरा घनमुख टीपीपी/जिनभुविश पावर जेनरेशन प्रा. लि.	सितं.-11	यू-1	300	अक्तू.-17	अनिश्चित	3450	422
				यू-2	300	जन.-17	अनिश्चित		
15	मध्य प्रदेश	गोरजी टीपीपी/डी.बी. पावर (एमपी) लि.	मार्च-11	यू-1	660	जून-13	अनिश्चित	3941	476
16	ओडिशा	केवीके नीलांचल टीपीपी/केवीके नीलांचल	नव.-09	यू-1	350	दिसं.-11	18-19	6000	1708
				यू-2	350	जन.-12	अनिश्चित		
				यू-3	350	मार्च-12	अनिश्चित		
17	ओडिशा	मलीब्राह्मणी टीपीपी/एमपीसीएल	जून-10	यू-1	525	दिसं.-12	17-18	6330	5329
				यू-2	525	फर.-13	17-18		
				कुल	18420				

राज्य सभा में दिनांक 06.02.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 401 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

गैस की कमी, पीपीए और निधि की बाधा के कारण स्ट्रेन्ड गैस आधारित विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा

क. चालू की गई परियोजनाएं

क्रम सं.	राज्य	परियोजना का नाम और विकासकर्ता	चालू होने की स्थिति	क्षमता	अग्रणी उधारकर्ता	परियोजना का लागत (रु. करोड़)	व्यय* (रु. करोड़)	स्ट्रेस की मुख्य श्रेणी (यां)
1	आंध्र प्रदेश	गौतमी विद्युत परियोजना (जेवीके ग्रुप)	चालू की गई	464 मेगावाट	आईडीएफसी	1935	1685	• गैस की कमी
2	आंध्र प्रदेश	लैंको कोंडापल्ली सीसीपीपी लैंको कोंडापल्ली पावर लि.	चालू की गई	1466 मेगावाट	एक्सिस बैंक	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	• गैस की कमी
3	आंध्र प्रदेश	कोनासीमा गैस विद्युत परियोजना (कोनासीमा गैस पावर लि.)	चालू की गई	445 मेगावाट	आईडीबीआई	2035	2035	• गैस की कमी
4	आंध्र प्रदेश	जीवीके सीसीपीपी जीवीके इंडस्ट्रीज लि.	चालू की गई	220 मेगावाट	आईडीबीआई	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	• गैस की कमी
5	आंध्र प्रदेश	जेगुरुपडु एक्सटेंशन परियोजना (फेज-II) (जीवीके ग्रुप)	चालू की गई	220 मेगावाट	आईडीबीआई	उपलब्ध नहीं	483	• दक्षिणी क्षेत्र में पारेषण बाधाएं
6	आंध्र प्रदेश	जीएमआर राजमुंदरी एनर्जी लि.	चालू की गई	768 मेगावाट	आईडीबीआई	4840	220.42 (31.08.2016 की स्थिति के अनुसार आईडीबीआई बकाया)	• गैस की कमी

7	गुजरात	डीजीईएन मेगा पावर प्रोजेक्ट (टोरेंट पावर)	चालू की गई	1200 मेगावाट	एसबीआई	5500	5517	<ul style="list-style-type: none"> पीपीए: 2 x 387 मेगावाट सहबद्ध गैस की कमी
8	गुजरात	उनोसुजैन सीसीपीपी (टोरेंट पावर)	चालू की गई	382.5 मेगावाट	एसबीआई	1833	1803	<ul style="list-style-type: none"> पीपीए: 278 मेगावाट सहबद्ध और 95 मेगावाट असहबद्ध गैस की कमी
9	महाराष्ट्र	पायोनियर गैस पावर लि. (पायोनियर गैस पावर लि.)	चालू की गई	388 मेगावाट	आईएफसीआई	1776	1237	<ul style="list-style-type: none"> गैस की कमी पीपीए भाग हस्ताक्षरित
10	महाराष्ट्र	रत्नागिरी गैस विद्युत परियोजना, (रत्नागिरी गैस और पावर प्रा. लि.)	चालू की गई	2150 मेगावाट	आईडीबीआई	12786	1961 (31.08.2016 की स्थिति के अनुसार आईडीबीआई बकाया)	<ul style="list-style-type: none"> गैस की कमी
11	उत्तराखंड	काशीपुर सीसीपीपी-I, ब्लॉक-1 (सावन्ती एनर्जी)	चालू की गई	225 मेगावाट	आईएफसीआई	1266	1088	<ul style="list-style-type: none"> गैस की कमी
12	उत्तराखंड	गम्मा सीसीपीपी	चालू की गई	225 मेगावाट		1156	1058	<ul style="list-style-type: none"> गैस की कमी
			कुल	8153.5 मेगावाट				

* सीईए में उपलब्ध सूचना के अनुसार

ख. चालू की जाने वाली परियोजनाएं

क्रम सं.	राज्य	परियोजना का नाम और विकासकर्ता	चालू होने की स्थिति	क्षमता	अग्रणी उधारकर्ता	परियोजना का लागत (रु. करोड़)	व्यय* (रु. करोड़)	स्ट्रेस की मुख्य श्रेणी (यां)
1	आंध्र प्रदेश	पंडुरंगा सीसीपीपी (पंडुरंगा पावर)	चालू करने के लिए तैयार	116 मेगावाट	आंध्रा बैंक	647	730	<ul style="list-style-type: none"> गैस की अनुपलब्धता
2	आंध्र प्रदेश	समलकोट विद्युत परियोजना (रिलायंस पावर)	परियोजना का कार्यान्वयन रोक दिया गया है।	2400 मेगावाट	आईडीबीआई	10500	8234	<ul style="list-style-type: none"> गैस की कमी निधि की बाधा
3	तेलंगाना	आस्था सीसीपीपी	2018-19	34.88 मेगावाट		214	107	<ul style="list-style-type: none"> गैस की कमी
4	उत्तराखंड	बेटा सीसीपीपी (बीआईपीएल)	2016-17	225 मेगावाट	पीएनबी	1254	1186	<ul style="list-style-type: none"> गैस की कमी पीपीए नहीं
5	उत्तराखंड	काशीपुर सीसीपीपी-II, ब्लॉक-2 (स्रावती एनर्जी)	2016-17	225 मेगावाट	आईएफसीआई	1300	911	<ul style="list-style-type: none"> गैस की कमी पीपीए नहीं निधि की बाधा
			कुल	3000.88 मेगावाट				

* सीईए में उपलब्ध सूचना के अनुसार

राज्य सभा में दिनांक 06.02.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 401 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

रूकी हुई निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाएं

क्रम सं.	परियोजना का नाम/निष्पादन एजेंसी/क्षमता (मेगावाट)	राज्य	चालू होने का संभावित समय	व्यय (आज की तिथि तक) (रु. करोड़ में)	रूकने के कारण	सरकार/विकासकर्ता द्वारा उठाए गए उपचारात्मक कदम
	केंद्रीय क्षेत्र					
1	लता तपोवन, एनटीपीसी लिमिटेड 3x57=171 मे.वा. 1527.00	उत्तराखंड	कार्यों के पुनः शुरू होने के 4 वर्ष बाद	146	माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 07.05.2014 के आदेश के द्वारा निर्माण कार्य रोक दिया गया।	मामला न्यायाधीन है।
2	सुबानसिरी लोअर एनएचपीसी लिमिटेड 8x250=2000 मे.वा. 17435.15	अरुणाचल प्रदेश/असम	कार्यों के पुनः शुरू होने के 4 वर्ष बाद	8766.63	- बांध की सुरक्षा और बांध के अनुप्रवाही प्रभावों पर विभिन्न सक्रियतावादियों द्वारा आंदोलन करने पर, दिनांक 16.12.2011 से कार्य रुका। - मामला माननीय एनजीटी, कोलकाता बेंच में।	कार्यों का पुनरारंभ: माननीय विद्युत, कोयला और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा माननीय कौशल विकास, उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), माननीय युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने मामलों पर चर्चा करने के लिए 10.12.2014 को असम विशेषज्ञ दल के साथ तथा 11.12.2014 को सुबानसिरी लोअर परियोजना के विभिन्न पणधारकों के साथ बैठक की। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, "प्रोजेक्ट ओवर साइट कमेटी" (पीओसी) के रूप में नामित असम विशेषज्ञ दल के 4 विशेषज्ञों तथा भारत सरकार के 4 विशेषज्ञों वाली समिति गठित की गई है, जो परियोजना से संबंधित विभिन्न मामलों की जांच करने के लिए मार्गदर्शन/निरीक्षण करने तथा परियोजना कार्यान्वयन सहित उनके अनुपालन का निरीक्षण करने हेतु एक चालू समिति है। पीओसी सदस्यों द्वारा क्रमशः जनवरी/फरवरी 16 में असम विशेषज्ञ दल तथा भारत सरकार के पीओसी सदस्यों से प्राप्त अलग रिपोर्टें प्रस्तुत की गईं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी): सुबानसिरी लोअर एचईपी से संबंधित मामले की माननीय राष्ट्रिय हरित अधिकरण (एनजीटी), कलकत्ता द्वारा सुनवाई की जा रही है। 11 दिसंबर,

						<p>2015 को हुई सुनवाई में एनजीटी ने जनता और संपत्ति की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए आपातकालीन अनुरक्षण कार्य करने के लिए एनएचपीसी को अनुमति दी। तथापि, माननीय एनजीटी ने आदेश दिया कि परियोजना के लिए कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाए। इसके अतिरिक्त, माननीय एनजीटी की इच्छानुसार पीओसी द्वारा प्रस्तुत दोनों रिपोर्टें विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 05 अप्रैल, 2016 को माननीय एनजीटी को प्रस्तुत कर दी गई हैं। एनजीटी में अगली सुनवाई 08 और 09 फरवरी, 2017 को होनी है।</p> <p>असम सरकार के साथ एमओए हस्ताक्षरित करना: असम सरकार के साथ एमओए हस्ताक्षरित करना लंबित है।</p>
	राज्य क्षेत्र					
3	<p>केशांग-II एंड III एचपीपीसीएल 2x65 = 130 मे.वा. 1079.80 (कशांग-I एचईपी की लागत सहित) (1 इकाई पहले से ही चालू है)</p>	हिमाचल प्रदेश	कार्यों के पुनः शुरू होने के 4 वर्ष बाद	1011.84 (कशांग-I एचईपी के व्यय सहित)	- एनजीटी में दो पृथक मामलों (एक पर्यावरण स्वीकृति का और दूसरा वन स्वीकृति का) के लंबित होने के कारण वर्ष 2011 से केके लिंक सुरंग का कार्य प्रारंभ न हो सका। पर्यावरण स्वीकृति के मामले का निर्णय एचपीपीसीएल के पक्ष में हुआ है, जबकि वन स्वीकृति के मामले में एनजीटी द्वारा निर्देश दिया गया है कि मामले को न्याय अधिकारी की उपस्थिति में ग्रामसभा के समक्ष रखा जाएगा। ग्राम सभा की कार्यवाही प्रारंभ होने की तिथि से तीन माह के अंदर संपूर्ण कार्यवाही पूरी की जाएगी। तत्पश्चात, एचपीपीसीएल इसकी रिपोर्ट एनजीटी को प्रस्तुत करेगा। एचपीपीसीएल द्वारा एनजीटी के निर्णय को चुनौती देने वाला आवेदन माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जिसे अब हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देश पर दिनांक	मामला न्यायाधीन है।

					08.09.2016 को वापिस ले लिया गया है।	
4	शाहपुरकंडी इर. डिप., पीबी. एंड पीएसपीसीएल 3x33+3x33+1x8 =206 मे.वा. 2285.81	पंजाब	कार्यों के पुनः शुरू होने के 4 वर्ष बाद	517.17	- पंजाब एवं जम्मू व कश्मीर सरकार के बीच के अंतर-राज्य विवादों के कारण दिनांक 30.08.2014 को बांध का कार्य (जेएंडके की तरफ का) रुका।	दिनांक 20.2.2015 को मुख्य सचिवों के स्तर की जम्मू में बैठक की गई। मामले का अभी समाधान किया जाना है।
5	थोड्डियार केएसईबी 1x30+1x10=40 मे.वा. 150.02	केरल	कार्यों के पुनः शुरू होने के 4 वर्ष बाद	52.87	- कार्य नवंबर, 2015 से लगभग पूरी तरह से रुका हुआ है। संविदाकार ने अपनी वित्तीय कठिनाई के कारण परियोजना के फोर क्लोजर का प्रस्ताव भेजा है तथा इससे संबंधित विस्तृत नोट अनुमोदनार्थ बोर्ड को प्रस्तुत किया गया है। फोर क्लोजर का निर्णय लिया गया है तथा शेष कार्य खुली निविदा अथवा ओरंगल लेबर कांट्रैक्ट कॉर्पोरेटिव सोसायटी जैसी सरकार से अनुमोदित निष्पादन एजेंसियों के माध्यम से करवाने का पुनः प्रबंध किया जाए।	राज्य सरकार द्वारा कार्यों को पुनः अवार्ड करने में तेजी लाना।
6	पल्लिवसल केएसईबी 2x30=60 मे.वा. 284.69	केरल	कार्यों के पुनः शुरू होने के 4 वर्ष बाद	183.70	- कार्य नवंबर, 2015 से लगभग पूरी तरह से रुका हुआ है। संविदाकार ने अपनी वित्तीय कठिनाई के कारण परियोजना के फोर क्लोजर का प्रस्ताव भेजा है तथा इससे संबंधित विस्तृत नोट अनुमोदनार्थ बोर्ड को प्रस्तुत किया गया है। फोर क्लोजर का निर्णय लिया गया है तथा शेष कार्य खुली निविदा अथवा ओरंगल लेबर कांट्रैक्ट कॉर्पोरेटिव सोसायटी जैसी सरकार से अनुमोदित निष्पादन एजेंसियों के माध्यम से करवाने का पुनः प्रबंध किया जाए।	राज्य सरकार द्वारा कार्यों को पुनः अवार्ड करने में तेजी लाना।
7	कोयना लेफ्ट बैंक पीएसएस डब्ल्यूआरडी, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	कार्यों के पुनः शुरू होने के 4 वर्ष बाद	334.59	- परियोजना जुलाई, 2015 से रुकी। परियोजना पर वर्तमान	राज्य सरकार द्वारा आरईसी के अनुमोदन में तेजी लाना

	सरकार 2x40=80 मे.वा. 1494.94				व्यय पहले ही लगभग मूल प्रशासनिक अनुमोदित लागत स्तर पर पहुँच चुका है, अतः परियोजना पर व्यय रोक दिया गया है तथा परियोजना कार्य बहुत ही धीमी गति पर चल रहा है। संशोधित लागत पर राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन दिया जाना है।	
	निजी क्षेत्र					
8	महेश्वर श्री महेश्वर हाइडल पावर कारपोरेशन लिमिटेड 10x40= 400 मे.वा. 6793	मध्य प्रदेश	कार्यों के पुनः शुरू होने के 1-½ वर्ष बाद	3135	विकासकर्ता से नकद प्रवाह की समस्या के कारण कार्य नवंबर, 2011 से लंबित।	अपर मुख्य सचिव (वित्त) मध्य प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में परियोजना को पूरा करने के लिए रास्ता तलाशने हेतु 16 अक्टूबर, 2014 को उच्च स्तरीय समिति गठित की गई। समिति ने महेश्वर परियोजना चालू करने के लिए तीन परिदृश्यों की सिफारिश की थी। पहले परिदृश्य के अंतर्गत वर्तमान निजी विकासकर्ताओं के साथ परियोजना को पूरा करने के अन्य प्रयास पर विचार किया गया है। पहले परिदृश्य की समय-सीमा (2 अगस्त, 2015) विकासकर्ता द्वारा इसकी अपेक्षाओं का पालन किए बिना बीत चुकी है। वर्तमान में, दूसरे परिदृश्य के अंतर्गत परियोजना के पुनरुद्धार की प्रक्रिया पर कार्य चल रहा है, जिसमें परियोजना कंपनी को निजी विकासकर्ता के साथ अल्पसंख्यक शेयरधारक के रूप में मानते हुए अधिकृत करने के लिए सरकारी कंपनियों पर विचार किया जाता है। तदनुसार, ऋणदाता सरकारी कंपनियों होने के नाते उप-ऋण को इक्विटी में बदल कर तथा बंधक शेयरों के उपयोग द्वारा अधिकांश इक्विटी प्राप्त करने के लिए योजना बना रहे हैं।
9	तीस्ता-VI लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लि. 4x125=500 मे.वा. 5400	सिक्किम	कार्यों के पुनः शुरू होने के 3 वर्ष बाद.	3144	अप्रैल, 2014 से लगभग कोई प्रगति नहीं हुई (वित्त संबंधी बाधाएं)।	परियोजना को पुनः शुरू करने के लिए रास्ता खोजने हेतु विभिन्न पणधारकों के बीच विचार-विमर्श चल रहा है। 17.8.2016 को आयोजित बैठक में राज्य सरकार उच्च स्तरीय समिति ने सिक्किम में रूकी हुई परियोजनाओं को पीएसयू द्वारा अधिकृत करने की सिफारिश की थी। इसके अतिरिक्त सभी पणधारकों से परियोजना को शुरू करने हेतु अधिक विकल्पों की जांच करने के लिए अनुरोध किया गया था।
10	रंगित-IV जल पावर कार. लि.	सिक्किम	कार्यों के पुनः शुरू होने के	816.76	विकासकर्ता से वित्त संबंधी बाधाओं के कारण कार्य	परियोजना को शुरू करने के लिए रास्ता खोजने हेतु विभिन्न पणधारकों के बीच

	(जेपीसीएल) 3x40= 120 मे.वा. 1692.60		2½ वर्ष बाद		अक्टूबर, 2013 से रुका।	विचार-विमर्श किया जा रहा है। क्योंकि कंपनी के विकासकर्ता अतिरिक्त इक्विटी को पूरा करने के लिए सक्षम नहीं हैं, इसलिए सिक्किम सरकार से परियोजना को पुनः चालू करने के लिए ऋणदाताओं द्वारा आगामी वित्त पोषण की सुविधा देने के लिए उनके इक्विटी स्टैक को 26% से बढ़ाकर 51% तक करने का अनुरोध किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार की उच्च स्तरीय समिति ने सीपीएसयू द्वारा अधिनीकरण सहित अधिक विकल्पों की पुनः जांच करने के लिए अनुरोध किया है।
11	पनान हिमगिरी एनर्जी प्रा. लि. 4x75 = 300 मे.वा. 2021.90	सिक्किम	कार्यों के शुरू होने के 4½ वर्ष बाद	156.50	एनजीटी स्वीकृति की प्रतीक्षा में, प्रमुख सिविल कार्य अप्रैल, 2014 से प्रारंभ नहीं हो सके।	मामला न्यायाधीन है। क्योंकि इस पर कोई स्टे नहीं है, विकासकर्ता द्वारा एनडब्ल्यू स्वीकृति मिलने के बाद कार्य शुरू करने की संभावना है।
12	रत्ले जीवीआर रत्ले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट प्रा. लि. 4x205+1x30=850मे.वा 6257	जम्मू एवं कश्मीर	कार्यों के पुनः शुरू होने के 5 वर्ष बाद	1451	दिनांक 11 जुलाई, 2014 से कोई प्रगति नहीं हुई (आरएंडआर मुद्दे, स्थानीय मुद्दे, कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्या, सिन्धु जल संधि इत्यादि)।	विकासकर्ता ने पीपीए के शीघ्र समापन तथा परियोजना को अधिकृत करने के लिए जम्मू एवं कश्मीर सरकार से अनुरोध किया है। सीईए ने जम्मू एवं कश्मीर सरकार से दिनांक 26.10.2016 के पत्र के तहत राज्य सरकार का निर्णय भेजने का अनुरोध किया है।
13	टंगनु रोमई टंगनु रोमई जेनरेशन 2x22=44 मे.वा. 255	हिमाचल प्रदेश	कार्यों के शुरू होने के 4 वर्ष बाद	उपलब्ध नहीं	विकासकर्ता ने सूचित किया है कि मुख्य सुरंग में बहुत खराब भू स्थिति होने के कारण परियोजना को कठिनाई हुई जिससे परियोजना विलंबित हुई तथा लागत में वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, वित्त संबंधी बाधाओं के कारण जनवरी, 2015 से कार्य रुका।	
14	सोरांग हिमाचल सोरांग पावर लि. 2x50=100 मे.वा. 586	हिमाचल प्रदेश	कार्यों के शुरू होने के 1 वर्ष बाद	उपलब्ध नहीं	जब यूनिट-2 का परीक्षण चालन हो रहा था, तब सरफेस पेनस्टॉक पाइप में दरार होने के कारण दिनांक 18.11.2015 से कार्य रुका हुआ है।	पेनस्टॉक पाइप की मरम्मत हेतु मुआवजा पैकेज और निधियों की गणना विकासकर्ता द्वारा की जा रही है। इसके अतिरिक्त, मरम्मत कार्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त अपेक्षित लागत की निधि देने के लिए बैंकों के साथ बातचीत जारी है।
15	लोअर कलनई जेकेएसपीडीसी 2x24=48 मे.वा. 576.87	जम्मू एवं कश्मीर	कार्य पुनः शुरू होने के बाद लगभग 4 वर्ष	71.98	संविदाकर्ता के साथ वित्तीय मामलों के कारण कार्य रोक दिए गए हैं। संविदाकर्ता मैसर्स कोस्टल प्रोजेक्ट लि. सीडीआर के अधीन है।	जेकेएसपीडीसी परियोजना शुरू करने के लिए रास्ता तलाश रहा है।

कुल = 15 (4984 मे.वा.)

उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित परियोजनाएं भी बाधित हैं:-

क्रम सं.	परियोजना का नाम/निष्पादन एजेंसी/क्षमता (मेगावाट)	राज्य	चालू होने की संभावना	व्यय (तारीख तक) (रु. करोड़)	बाधित होने के कारण
1	फाटा ब्यंग मैसर्स लैंको 2x38=76 मे.वा. 1225.53	उत्तराखंड	3 वर्ष	865.99	- जून, 2013 में अचानक बाढ़ के कारण कार्य प्रभावित। - कार्य की धीमी गति। - समय एवं लागत आधिक्य के कारण उच्च प्रशुल्क।
2	सिंगेली भटवारी मैसर्स एलएंडटी 3x33=99 मे.वा. 1577	उत्तराखंड	3 वर्ष	919.36	- जून, 2013 में अचानक बाढ़ के कारण कार्य प्रभावित। - कार्य की धीमी गति। - समय एवं लागत आधिक्य के कारण उच्च प्रशुल्क।
3	गांगरी दिरांग एनर्जी प्रा.लि. 2x72=144 मे.वा. 1436.27	अरुणाचल प्रदेश	कार्यों के तत्काल शुरू होने के 3½ वर्ष बाद	521.21	प्रवर्तक/ऋणदाताओं से वित्त प्रवाह समस्या के कारण अप्रैल, 2016 के द्वितीय सप्ताह से कार्य रुका। कार्य जुलाई, 2016 में पुनः प्रारंभ हुआ, परंतु वित्त संबंधी बाधाएं अभी भी हैं।
4	रंगित-II सिक्किम हाइड्रो पावर लि. 2x33=66मे.वा. 496.44	सिक्किम	कार्यों के तत्काल शुरू होने के 3 वर्ष बाद	उपलब्ध नहीं	विद्युत निकासी तथा भूमि अधिग्रहण मुद्दों के कारण ऋणदाताओं द्वारा वित्त जारी न करने के कारण कार्य वर्ष 2014 से रुके। विकासकर्ता को परियोजना में इक्विटी डालनी है। इस दौरान, कंपनी का प्रवर्तक "गैम्मन इंडिया लि." सीडीआर के अंतर्गत है। अतः पीएफसी ऋण संवितरण करने में असमर्थ है। विकासकर्ता तथा ऋणदाताओं के बीच बातचीत चल रही है, तथापि, बैंकों द्वारा वित्त का संवितरण अभी नहीं किया गया है। विकासकर्ता ने सितंबर, 2016 से कार्य पुनः प्रारंभ किया।
5	पोलावरम पोलावरम प्रोजेक्ट अथॉरिटी (12x80 = 960 मे.वा.) 16010.45	आंध्र प्रदेश	कार्यों के तत्काल शुरू होने के 4 वर्ष बाद	7364.06	-कार्यों की धीमी प्रगति - ईएंडएम अभी अवार्ड किए जाने हैं। - एमओईएफ की इच्छानुसार, सुरक्षात्मक तटबंध के निर्माण के लिए जन सुनवाई ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ में की जानी है।

कुल = 5 (1345 मे.वा.)

सकल योग = 20 (6329 मे.वा.)

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-402

जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2017 को दिया जाना है ।

राष्ट्रीय 'स्ट्रीट लाइट' कार्यक्रम का विस्तार

402. श्री डी. कुपेन्द्र रेड्डी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में एक राष्ट्रीय 'स्ट्रीट-लाइट' कार्यक्रम (एसएलएनपी) प्रारंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्तमान में यह कार्यक्रम केवल कुछ राज्यों में ही कार्यान्वित किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी राज्यों को कब तक शामिल किया जाएगा, इस संबंध में निर्धारित लक्ष्यों और अब तक प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : माननीय प्रधानमंत्री ने दिनांक 05 जनवरी, 2015 को एलईडी आधारित लाइटों को बढ़ावा देकर पर्याप्त बचत प्राप्त करने के लिए स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम (एसएलएनपी) की शुरुआत की थी जिसका कार्यान्वयन विद्युत मंत्रालय के अधीन एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल), जो चार सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संयुक्त उद्यम कंपनी है, द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इस स्कीम में भारत सरकार की सब्सिडी का कोई तत्व नहीं है। ईईएसएल ने अप्रॉफ़ट लागतों के बिना परंपरागत लाइटों को एलईडी से बदलने के लिए नगरपालिकाओं को सक्षम बनाने हेतु एक सर्विस मॉडल तैयार किया है। एक समयावधि के पश्चात ऊर्जा और नगरपालिका की रख-रखाव लागत में बचत के परिणामस्वरूप उसका प्रयोग ईईएसएल को चुकौती के लिए किया जाता है। देश के सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में मार्च, 2019 तक 3.5 करोड़ एलईडी

स्ट्रीट लाइटें लगाने का लक्ष्य है जिसके परिणामस्वरूप 1500 मेगावाट की परिहार्य उत्पादन क्षमता और 9 बिलियन किलोवाट घंटा प्रतिवर्ष बचत होगी। एसएलएनपी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप देश को संभावित उपार्जित लाभ निम्नानुसार है:

3 वर्षों में वितरित किए गए एलईडी बल्बों/बदली गई स्ट्रीट लाइटों की संख्या	3.5 करोड़
संभावित वार्षिक ऊर्जा बचत	9 बिलियन केडब्ल्यूएच (लगभग)
संस्थापित भार में संभावित कमी	1500 मेगावाट (लगभग)
अनुमानित पूंजी निवेश (ओएंडएम लागत को छोड़कर) (लगभग)	35,000 करोड़ रुपए
वार्षिक अनुमानित जीएचजी उत्सर्जन कमी (लगभग)	6.2 मिलियन टन CO ₂
कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप अब तक बचाई गई ऊर्जा की अनुमानित मात्रा (बिलियन केडब्ल्यूएच प्रतिवर्ष)	0.42

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा राष्ट्रीय एलईडी कार्यक्रम में सहभागिता स्वैच्छिक है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बढ़ावा देने के लिए विद्युत मंत्रालय ने इस कार्यक्रम में प्रतिभागिता के लिए अनुरोध करते हुए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पहले ही लिखा जा चुका है। जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वर्तमान में एसएलएनपी कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है, उनका ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

राज्य सभा में दिनांक 06.02.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 402 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

एसएलएनपी कार्यक्रम के अंतर्गत एलईडी लैम्पों द्वारा बदली गई स्ट्रीट लाइटों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एलईडी स्ट्रीट लाइटों की संख्या
आंध्र प्रदेश	575,625
बिहार	150
दिल्ली	226,718
हिमाचल प्रदेश	12,681
केरल	9,707
महाराष्ट्र	24,154
पुडुचेरी	300
राजस्थान	593,523
तेलंगाना	2,671
त्रिपुरा	36,789
उत्तर प्रदेश	41,646
असम	4,798
गुजरात	44,147
झारखंड	2,800
मध्य प्रदेश	9,407
पंजाब	3,682
पश्चिम बंगाल	300
जम्मू व कश्मीर	700
उत्तराखंड	500
गोवा	48,306
छत्तीसगढ़	661
कुल	1,639,265

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-403

जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2017 को दिया जाना है ।

भवनों के लिए विद्युत बचत प्रौद्योगिकी

403. डॉ. वी. मैत्रेयनः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान विदेशी सहयोग और वित्त-पोषण के साथ हरित भवन और भवन प्रबन्धन परियोजनाओं को लागू करने के लिए कोई संभाव्यता अध्ययन करवाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की देश में एलईडी लाइट की अधुनातन प्रौद्योगिकी और विद्युत बचत प्रौद्योगिकी-आधारित भवन प्रबन्धन समाधान लागू करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश के विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विगत तीन वर्षों के दौरान कार्यान्वित की गई परियोजनाओं की सूची क्या है; और

(ङ) ऐसी परियोजनाओं हेतु प्रदान की गई निधियों का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई), जोकि विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है और ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेशन इनकारपोरेशन (जीबीसीआई) जोकि हरित निर्माण रेटिंग एजेंसी है, के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया गया है। दोनों पक्षकारों ने ईसीबीसी के साथ बराबरी के लिए ईडीजीई (उच्च दक्षताओं के लिए डिजाइन में उत्कृष्टता) जैसे उपकरणों का उपयोग करते हुए व्यापक निर्माण ऊर्जा दक्षता के वैधीकरण के लिए ऊर्जा में नेतृत्व तथा पर्यावरणीय डिजाइन (लीड) व्यावसायियों तथा ईसीबीस (ऊर्जा संरक्षण भवन कोड) विशेषज्ञों के प्रत्यय पत्रों को कौशलयुक्त बनाने जैसे कार्यों पर संयुक्त रूप से अपनी सहमति दी है।

(ग) : ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने सेल्फ-ब्लास्ट ओमनी डायरेक्शनल एलईडी बल्बों के लिए स्वैच्छिक स्टार लेबलिंग कार्यक्रम की शुरुआत की है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने नए वाणिज्यिक भवनों के क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता सुधारों के लिए ईसीबीसी भी तैयार किया है जिसमें ऊर्जा संसाधनों की प्रभावी निगरानी एवं उपयोग के लिए भवन प्रबंधन समाधान शामिल हैं। भवन ऊर्जा दक्षता परियोजना के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, ऊर्जा दक्ष भवन डिजाइन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है जिसमें भवन प्रबंधन समाधान के माध्यम से विद्युत की बचत परियोजना का एक भाग भी है।

इसके अतिरिक्त, एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल), जोकि विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत 4 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) की संयुक्त उद्यम कंपनी है, वर्ष 2014-15 से रिट्रोफिट कार्यक्रम के माध्यम से भवनों में एलईडी लैंपों, एलईडी ट्यूब लैम्पों, एलईडी आउटडोर लाइटों तथा अन्य एलईडी लाइटों लगाने के लिए कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है।

(घ) : उन परियोजनाओं की सूची, जहाँ ऊर्जा दक्ष एलईडी लाइटों का कार्यान्वयन ईईएसएल द्वारा किया गया है, निम्नवत है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार्यान्वयन का वर्ष	रिट्रोफिट किए गए भवनों की संख्या	भवनों का नाम
1	दिल्ली	2014-15	1	नीति आयोग
		2015-16	1	संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी)
		2016-17	15	राजीव चौक एवं बाराखंभा मेट्रो स्टेशन / विद्युत भवन / लोकनायक भवन/ ट्रांसपोर्ट भवन / सरदार पटेल भवन / सेवा भवन / वेस्ट ब्लॉक / ईस्ट ब्लॉक / निर्माण भवन / आईपी भवन / कृषि भवन / विज्ञान भवन / पुष्पा भवन / शास्त्री भवन
2	पश्चिम बंगाल	2014-15	1	बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (बीसीसीएंड आई)
		2016-17	1	कोल इंडिया लिमिटेड
3	महाराष्ट्र	2016-17	3	देना बैंक (2) / मैंगनीज ओर इंडिया लि. (एमओआईएल)
4	कर्नाटक	2016-17	1	आईएस एसोसिएशन
5	जम्मू व कश्मीर	2016-17	2	जम्मू असेंबली / जम्मू सेक्रेटारियट
6	उत्तर प्रदेश	2016-17	1	इनलैंड वाटरवेज ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (आईडब्ल्यूआई)
कुल			26	

ऐसी परियोजनाएं जहाँ भवन प्रबंधन समाधान के माध्यम से विद्युत की बचत का कार्यान्वयन वर्तमान में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा किया जा रहा है, निम्नलिखित हैं:

- इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (आईआईआईडीईएम), द्वारका, नई दिल्ली
- जूपीटर हॉस्पिटल, पुणे, महाराष्ट्र

(ङ) : ऐसी परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा ईईएसएल को कोई निधि उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन भवन के स्वामी द्वारा ईएससीओ (एनर्जी सर्विस कंपनी) मॉडल (अर्थात् निवेश ईईएसएस द्वारा किया जाता है और ऊर्जा बचत के माध्यम से वसूल किया जाता है) या सेल्फ फाइनेंसिंग मॉडल के माध्यम से किया जाता है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-404

जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2017 को दिया जाना है ।

‘उदय’ योजना के अन्तर्गत राज्य विशिष्ट मानदंडों की मांग

404. श्री सी. पी. नारायणनः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने सभी राज्यों, जिनका आर्थिक, विकास और कार्यान्वयन संबंधी परिवेश बिल्कुल भिन्न है, के लिए शर्तों का एक ही सेट लागू करने पर बल देते हुए अक्षमता और दूरदर्शिता की कमी पर विचार किया है;
- (ख) क्या सरकार का यह मानना है कि विभिन्न राज्यों में विभिन्न बिजली बोर्डों को बिल्कुल भिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है; और
- (ग) क्या इस पृष्ठभूमि में, सरकार ‘उदय’ योजना के संबंध में मानदंडों के एक ही सेट पर बल देने संबंधी अपनी स्थिति की समीक्षा करेगी और केरल राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड के अपने नुकसान की भरपाई हेतु अल्पावधि ऋण प्राप्त करने संबंधी अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : बैंकों/वित्तीय संस्थानों (एफआई) और राज्य सरकारों सहित पणधारकों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) तैयार और शुरू की गई है। इस स्कीम में शामिल होना राज्यों के लिए वैकल्पिक है। इस स्कीम में विभिन्न राज्यों में विद्यमान भिन्न-भिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। भारत सरकार स्कीम की रूपरेखा के भीतर मामला-दर-मामला आधार पर उदय के अंतर्गत समझौता-ज्ञापन को अंतिम रूप देते समय स्कीम की राज्य विशिष्ट कठिनाईयों/जटिलताओं का समाधान करने में उनकी टर्नअराउंड योजना तैयार करने और राज्यों की सहायता करने के लिए राज्यों/डिस्कॉमों को स्वतंत्रता देती है।

उदय में प्रतिभागी राज्यों/डिस्कॉमों की ओर से कई विवेकपूर्ण राजकोषीय उपाय शामिल हैं जिनमें पूर्व निर्धारित स्तर के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थानों के माध्यम से कार्यचालन पूंजी के लिए वित्तपोषण का विकल्प और अल्पावधि ऋणों के लिए राज्य/डिस्कॉम बांडों के मामले शामिल हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-405

जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2017 को दिया जाना है ।

मन्नावरम परियोजना को स्थानांतरित किया जाना

405. श्री टी. जी. वेंकटेशः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार एनटीपीसी-बीएचईएल विद्युत परियोजना लिमिटेड जो आन्ध्र प्रदेश के चित्तूर जिला के मन्नावरम में स्थित है, को राज्य से बाहर हटाने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या इस संबंध में स्थानीय लोगों की तरफ से चित्तूर से इस परियोजना को स्थानांतरित न करने संबंधी कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और
- (ग) सरकार द्वारा यथाशीघ्र परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं और एक विशिष्ट समय-सीमा में परियोजना को पूरा करने के लिए जारी की गई/जारी की जा रही निधियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी नहीं।

(ख) : चित्तूर से परियोजना को स्थानांतरित नहीं किए जाने के बारे में एक माननीय संसद सदस्य से अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(ग) : एनटीपीसी भेल पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड (एनबीपीपीएल) द्वारा 30.09.2016 तक लगभग 128 करोड़ रूपए का पूंजीगत निवेश किया गया है जो मुख्य रूप से कोल हैंडलिंग प्लांट (सीएचपी) के उपस्कर के विनिर्माण की सुविधाएं स्थापित करने के लिए हैं। इसकी दो प्रवर्तक कंपनियों (एनटीपीसी लिमिटेड एवं भेल) द्वारा 100 करोड़ रूपए का योगदान किया गया है। मन्नावरम में एनबीपीपीएल द्वारा स्थापित इस विनिर्माण सुविधा ने मई, 2015 से वाणिज्यिक उत्पादन करना शुरू कर दिया है।

इसके अतिरिक्त, एनबीपीपीएल ने कोल हैंडलिंग प्लांट (सीएचपी) के विनिर्माण और आपूर्ति के लिए मैसर्स डरबन मिड-वेस्ट कंपनी (डीएमडब्ल्यू), यूएसए के साथ प्रौद्योगिकी सहयोग करार किया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-406

जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2017 को दिया जाना है ।

देश में विद्युत की स्थिति

406. श्रीमती झरना दास बैद्य:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में विद्युत की मांग निरन्तर बढ़ रही है जिसके परिणामस्वरूप इसकी अत्यधिक कमी हो गई है;
- (ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान विद्युत की मांग और आपूर्ति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न स्रोतों से विद्युत उत्पादन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
- (घ) विद्युत की स्थिति में सुधार करने के लिए किए गए ढांचागत सुधारों के साथ ही इसके परिणामस्वरूप प्राप्त की गई सफलता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : राज्यों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, चालू वित्त वर्ष (दिसंबर, 2016 तक) के दौरान देश में ऊर्जा की दृष्टि से मार्जिनल मांग-आपूर्ति अंतर मात्र 0.7% और व्यस्ततम की दृष्टि से 1.6% है। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष (अप्रैल-दिसंबर, 2016) के दौरान विद्युत की मांग और आपूर्ति का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

(ग) : विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष (अप्रैल-दिसंबर, 2016) के दौरान विभिन्न स्रोतों से विद्युत उत्पादन का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

(घ) : विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है। किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में विभिन्न उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है। केंद्रीय सरकार विद्युत उत्पादन के प्रयोजन से केंद्रीय विद्युत क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू) के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र में विद्युत संयंत्र स्थापित करके और उनसे विद्युत आबंटन करके राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देती है। केंद्रीय सरकार

विभिन्न स्कीमों जैसे दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) और विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करती है।

देश में विद्युत की स्थिति को सुधारने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- (i) 12वीं योजना अवधि (2012-17) के दौरान पारंपरिक स्रोतों से 88,537 मेगावाट के लक्ष्य की तुलना में लगभग 92,415 मेगावाट क्षमता की अभिवृद्धि की गई तथा 31 दिसंबर, 2016 तक नवीकरणीय स्रोतों से 30,000 मेगावाट के लक्ष्य की तुलना में लगभग 22,279 मेगावाट क्षमता की अभिवृद्धि हासिल कर ली गई है।
- (ii) विद्युत संयंत्रों को घरेलू कोयले की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की गई है।
- (iii) 12वीं योजना अवधि (2012-17) के दौरान 31 दिसंबर, 2016 तक 1,07,440 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइनों के लक्ष्य की तुलना में 1,04,640 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइनें तथा 2,82,750 एमवीए ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता के लक्ष्य की तुलना में 2,96,933 एमवीए ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता पूरी कर दी गई है।
- (iv) भारत सरकार ने राज्यों की साझेदारी से सभी को 24x7 विद्युत (पीएफए) उपलब्ध कराने हेतु राज्य विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार करने की पहल की है।
- (v) उप-पारेषण तथा वितरण नेटवर्कों को सुदृढ़ करने तथा पर्याप्त एवं विश्वसनीय आपूर्ति करने और लाइनों की हानियों को कम करने के लिए कृषि फीडरों को पृथक करने हेतु भारत सरकार द्वारा दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) तथा एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) नामक दो नई योजनाओं की शुरुआत की गई है।
- (vi) भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा दक्षता तथा अन्य मांग पक्ष प्रबंधन उपायों के संवर्धन के लिए कई कदम उठाए हैं।
- (vii) केंद्र सरकार ने डिस्कॉमों के प्रचालनात्मक तथा वित्तीय टर्नअराउंड के लिए 20.11.2015 को उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) अधिसूचित की है।
- (viii) भारत सरकार ने उत्पादन तथा पारेषण परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किए जाने को सुविधाजनक बनाने के लिए पर्यावरणीय एवं वन स्वीकृतियों से संबंधित मुद्दों के शीघ्र समाधान के लिए कदम उठाए हैं।
- (ix) भारत सरकार ने स्ट्रैंडेड गैस आधारित उत्पादन के प्रचालनीकरण के लिए विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) से सहायता मुहैया कराते हुए एक योजना शुरु की है।

राज्य सभा में दिनांक 06.02.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 406 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

2013-14 के लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति स्थिति

राज्य/क्षेत्र	2013-14							
	ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा उपलब्धता	अधिशेष (+)/कमी (-)		व्यस्ततम मांग	व्यस्ततम आपूर्ति	अधिशेष (+)/कमी (-)	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(%)
चंडीगढ़	1,574	1,574	0	0.0	345	345	0	0.0
दिल्ली	26,867	26,791	-76	-0.3	6,035	5,653	-382	-6.3
हरियाणा	43,463	43,213	-250	-0.6	8,114	8,114	0	0.0
हिमाचल प्रदेश	9,089	8,883	-206	-2.3	1,561	1,392	-169	-10.8
जम्मू व कश्मीर	15,613	12,187	-3,426	-21.9	2,500	1,998	-502	-20.1
पंजाब	47,821	47,084	-737	-1.5	10,089	8,733	-1,356	-13.4
राजस्थान	58,202	58,042	-160	-0.3	10,047	10,038	-9	-0.1
उत्तर प्रदेश	94,890	81,613	-13,277	-14.0	13,089	12,327	-762	-5.8
उत्तराखंड	11,944	11,493	-451	-3.8	1,826	1,826	0	0.0
उत्तरी क्षेत्र	3,09,463	2,90,880	-18,583	-6.0	45,934	42,774	-3,160	-6.9
छत्तीसगढ़	18,932	18,800	-132	-0.7	3,365	3,320	-45	-1.3
गुजरात	88,497	88,488	-9	0.0	12,201	12,201	0	0.0
मध्य प्रदेश	49,410	49,385	-25	-0.1	9,716	9,716	0	0.0
महाराष्ट्र	1,26,288	1,23,672	-2,616	-2.1	19,276	17,621	-1,655	-8.6
दमन व दीव	2,252	2,252	0	0.0	322	297	-25	-7.8
दादरा व नागर हवेली	5,390	5,388	-2	0.0	661	661	0	0.0
गोवा	3,890	3,871	-19	-0.5	529	529	0	0.0
पश्चिमी क्षेत्र	2,94,659	2,91,856	-2,803	-1.0	41,335	40,331	-1,004	-2.4
आंध्र प्रदेश	95,662	89,036	-6,626	-6.9	14,072	13,162	-910	-6.5
कर्नाटक	64,150	58,052	-6,098	-9.5	9,940	9,223	-717	-7.2
केरल	21,577	21,052	-525	-2.4	3,671	3,573	-98	-2.7
तमिलनाडु	93,508	87,980	-5,528	-5.9	13,522	12,492	-1,030	-7.6
तेलंगाना								
पुडुचेरी	2,344	2,320	-24	-1.0	351	333	-18	-5.1
दक्षिणी क्षेत्र	2,77,245	2,58,444	-18,801	-6.8	39,015	36,048	-2,967	-7.6
बिहार	15,391	14,759	-632	-4.1	2,465	2,312	-153	-6.2
डीवीसी	17,407	17,296	-111	-0.6	2,745	2,745	0	0.0
झारखंड	7,143	7,007	-136	-1.9	1,111	1,069	-42	-3.8
ओडिशा	24,958	24,546	-412	-1.7	3,727	3,722	-5	-0.1
पश्चिम बंगाल	42,891	42,762	-129	-0.3	7,325	7,294	-31	-0.4
सिक्किम	413	413	0	0.0	90	90	0	0.0
पूर्वी क्षेत्र	1,08,203	1,06,783	-1,420	-1.3	15,888	15,598	-290	-1.8
अरुणाचल प्रदेश	552	517	-35	-6.3	125	124	-1	-0.8
असम	7,544	7,062	-482	-6.4	1,329	1,220	-109	-8.2
मणिपुर	579	548	-31	-5.4	134	133	-1	-0.7
मेघालय	1,794	1,604	-190	-10.6	343	330	-13	-3.8
मिजोरम	446	430	-16	-3.6	84	82	-2	-2.4
नागालैंड	577	561	-16	-2.8	109	106	-3	-2.8
त्रिपुरा	1,195	1,144	-51	-4.3	254	250	-4	-1.6
पूर्वोत्तर क्षेत्र	12,687	11,866	-821	-6.5	2,164	2,048	-116	-5.4
अखिल भारत	10,02,257	9,59,829	-42,428	-4.2	1,35,918	1,29,815	-6,103	-4.5

2014-15 के लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति स्थिति

राज्य/क्षेत्र	2014-15							
	ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा उपलब्धता	अधिशेष/कमी(-)		व्यस्ततम आवश्यकता	व्यस्ततम उपलब्धता	अधिशेष/कमी(-)	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(%)
चंडीगढ़	1,616	1,616	0	0.0	367	367	0	0.0
दिल्ली	29,231	29,106	-125	-0.4	6,006	5,925	-81	-1.3
हरियाणा	46,615	46,432	-183	-0.4	9,152	9,152	0	0.0
हिमाचल प्रदेश	8,807	8,728	-79	-0.9	1,422	1,422	0	0.0
जम्मू व कश्मीर	16,214	13,119	-3,095	-19.1	2,554	2,043	-511	-20.0
पंजाब	48,629	48,144	-485	-1.0	11,534	10,023	-1,511	-13.1
राजस्थान	65,717	65,310	-407	-0.6	10,642	10,642	0	0.0
उत्तर प्रदेश	1,03,179	87,062	-16,117	-15.6	15,670	13,003	-2,667	-17.0
उत्तराखंड	12,445	12,072	-373	-3.0	1,930	1,930	0	0.0
उत्तरी क्षेत्र	3,32,453	3,11,589	-20,864	-6.3	51,977	47,642	-4,335	-8.3
छत्तीसगढ़	21,499	21,230	-269	-1.3	3,817	3,638	-179	-4.7
गुजरात	96,235	96,211	-24	0.0	13,603	13,499	-104	-0.8
मध्य प्रदेश	53,374	53,082	-292	-0.5	9,755	9,717	-38	-0.4
महाराष्ट्र	1,34,897	1,33,078	-1,819	-1.3	20,147	19,804	-343	-1.7
दमन व दीव	2,086	2,086	0	0.0	301	301	0	0.0
दादरा व नागर हवेली	5,307	5,304	-3	-0.1	714	714	0	0.0
गोवा	3,969	3,932	-37	-0.9	501	489	-12	-2.4
पश्चिमी क्षेत्र	3,17,367	3,14,923	-2,444	-0.8	44,166	43,145	-1,021	-2.3
आंध्र प्रदेश	59,198	56,313	-2,885	-4.9	7,144	6,784	-360	-5.0
कर्नाटक	62,643	59,926	-2,717	-4.3	10,001	9,549	-452	-4.5
केरल	22,459	22,127	-332	-1.5	3,760	3,594	-166	-4.4
तमिलनाडु	95,758	92,750	-3,008	-3.1	13,707	13,498	-209	-1.5
तेलंगाना	43,337	40,644	-2,693	-6.2	7,884	6,755	-1,129	-14.3
पुडुचेरी	2,402	2,376	-26	-1.1	389	348	-41	-10.5
दक्षिणी क्षेत्र	2,85,797	2,74,136	-11,661	-4.1	39,094	37,047	-2,047	-5.2
बिहार	19,294	18,759	-535	-2.8	2,994	2,874	-120	-4.0
डीवीसी	18,222	17,728	-494	-2.7	2,653	2,590	-63	-2.4
झारखंड	7,599	7,390	-209	-2.8	1,075	1,055	-20	-1.9
ओडिशा	26,482	26,052	-430	-1.6	3,920	3,892	-28	-0.7
पश्चिम बंगाल	47,086	46,827	-259	-0.6	7,544	7,524	-20	-0.3
सिक्किम	399	399	0	0.0	83	83	0	0.0
पूर्वी क्षेत्र	1,19,082	1,17,155	-1,927	-1.6	17,040	16,932	-108	-0.6
अरुणाचल प्रदेश	677	610	-67	-9.9	139	126	-13	-9.4
असम	8,527	7,926	-601	-7.0	1,450	1,257	-193	-13.3
मणिपुर	705	678	-27	-3.8	150	146	-4	-2.7
मेघालय	1,930	1,634	-296	-15.3	370	367	-3	-0.8
मिजोरम	455	425	-30	-6.6	90	88	-2	-2.2
नागालैंड	688	661	-27	-3.9	140	128	-12	-8.6
त्रिपुरा	1,242	1,048	-194	-15.6	310	266	-44	-14.2
पूर्वोत्तर क्षेत्र	14,224	12,982	-1,242	-8.7	2,528	2,202	-326	-12.9
अखिल भारत	10,68,923	10,30,785	-38,138	-3.6	1,48,166	1,41,160	-7,006	-4.7

2015-16 के लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति स्थिति

राज्य/क्षेत्र	2015-16							
	ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा उपलब्धता	अधिशेष/कमी(-)		व्यस्ततम आवश्यकता	व्यस्ततम उपलब्धता	अधिशेष/कमी(-)	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(%)
चंडीगढ़	1,607	1,607	0	0.0	342	342	0	0.0
दिल्ली	29,626	29,583	-43	-0.1	5,846	5,846	0	0.0
हरियाणा	47,506	47,437	-69	-0.1	9,113	9,113	0	0.0
हिमाचल प्रदेश	8,821	8,758	-63	-0.7	1,488	1,488	0	0.0
जम्मू व कश्मीर	16,572	14,037	-2,536	-15.3	2,544	2,158	-386	-15.2
पंजाब	49,687	49,675	-12	0.0	10,852	10,852	0	0.0
राजस्थान	67,417	67,205	-212	-0.3	10,961	10,961	0	0.0
उत्तर प्रदेश	1,06,350	93,033	-13,317	-12.5	16,988	14,503	-2,485	-14.6
उत्तराखंड	12,889	12,675	-214	-1.7	2,034	2,034	0	0.0
उत्तरी क्षेत्र	3,40,475	3,24,009	-16,466	-4.8	54,474	50,622	-3,852	-7.1
छत्तीसगढ़	25,650	25,310	-340	-1.3	3,932	3,757	-175	-4.5
गुजरात	1,03,544	1,03,540	-4	0.0	14,495	14,448	-47	-0.3
मध्य प्रदेश	62,375	62,375	0	0.0	10,902	10,902	0	0.0
महाराष्ट्र	1,41,817	1,41,361	-456	-0.3	20,973	20,594	-379	-1.8
दमन व दीव	2,337	2,337	0	0.0	307	307	0	0.0
दादरा व नागर हवेली	5,925	5,925	0	0.0	740	740	0	0.0
गोवा	5,120	5,119	-1	0.0	583	552	-31	-5.3
पश्चिमी क्षेत्र	3,46,767	3,45,967	-800	-0.2	48,640	48,199	-441	-0.9
आंध्र प्रदेश	50,437	50,366	-71	-0.1	7,400	7,391	-9	-0.1
कर्नाटक	64,302	60,971	-3,331	-5.2	10,202	9,508	-694	-6.8
केरल	23,318	23,194	-124	-0.5	3,977	3,856	-121	-3.1
तमिलनाडु	97,277	96,586	-690	-0.7	14,190	14,171	-19	-0.1
तेलंगाना	50,254	49,948	-307	-0.6	6,854	6,849	-5	-0.1
पुडुचेरी	2,437	2,429	-8	-0.3	368	352	-16	-4.3
दक्षिणी क्षेत्र	2,88,025	2,83,494	-4,532	-1.6	40,030	39,875	-155	-0.4
बिहार	23,960	23,658	-302	-1.3	3,735	3,484	-251	-6.7
डीवीसी	18,437	18,234	-203	-1.1	2,814	2,794	-20	-0.7
झारखंड	7,735	7,560	-174	-2.3	1,153	1,153	0	0.0
ओडिशा	26,763	26,600	-163	-0.6	4,091	4,091	0	0.0
पश्चिम बंगाल	47,359	47,194	-165	-0.3	7,905	7,885	-20	-0.3
सिक्किम	399	399	0	-0.1	109	109	0	0.0
पूर्वी क्षेत्र	1,24,653	1,23,646	-1,007	-0.8	18,169	18,056	-113	-0.6
अरुणाचल प्रदेश	625	591	-35	-5.5	139	135	-4	-2.9
असम	8,762	8,271	-491	-5.6	1,491	1,378	-113	-7.6
मणिपुर	840	810	-30	-3.6	168	167	-1	-0.6
मेघालय	1,832	1,724	-108	-5.9	400	377	-23	-5.8
मिजोरम	471	455	-16	-3.3	102	101	-1	-1.0
नागालैंड	755	738	-16	-2.2	140	138	-2	-1.4
त्रिपुरा	1,202	1,146	-57	-4.7	300	269	-31	-10.3
पूर्वोत्तर क्षेत्र	14,488	13,735	-752	-5.2	2,573	2,367	-206	-8.0
अखिल भारत	11,14,408	10,90,851	-23,557	-2.1	1,53,366	1,48,463	-4,903	-3.2

दिसंबर*, 2016 तक 2016-17 के लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति स्थिति

राज्य/क्षेत्र	2016-17 (दिसंबर*,2016) तक							
	ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा उपलब्धता	अधिशेष (+)/कमी (-)		व्यस्ततम मांग	व्यस्ततम आपूर्ति	अधिशेष (+)/कमी (-)	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(%)
चंडीगढ़	1,335	1,335	0	0.0	361	361	0	0.0
दिल्ली	25,214	25,185	-29	-0.1	6,342	6,261	-81	-1.3
हरियाणा	38,622	38,622	0	0.0	9,262	9,262	0	0.0
हिमाचल प्रदेश	6,607	6,574	-33	-0.5	1,410	1,410	0	0.0
जम्मू व कश्मीर	12,861	10,415	-2,446	-19.0	2,591	2,102	-489	-18.9
पंजाब	43,770	43,770	0	0.0	11,408	11,408	0	0.0
राजस्थान	50,485	50,139	-346	-0.7	10,613	10,113	-500	-4.7
उत्तर प्रदेश	81,996	80,329	-1,667	-2.0	17,183	15,501	-1,682	-9.8
उत्तराखंड	9,930	9,881	-49	-0.5	2,020	1,972	-48	-2.4
उत्तरी क्षेत्र	2,70,822	2,66,253	-4,569	-1.7	53,372	52,612	-760	-1.4
छत्तीसगढ़	17,587	17,534	-53	-0.3	3,875	3,851	-25	-0.6
गुजरात	77,815	77,815	0	0.0	14,724	14,708	-16	-0.1
मध्य प्रदेश	48,731	48,730	-1	0.0	11,512	11,501	-11	-0.1
महाराष्ट्र	1,04,610	1,04,565	-45	0.0	20,499	20,462	-37	-0.2
दमन व दीव	1,801	1,801	0	0.0	327	327	0	0.0
दादरा व नागर हवेली	4,544	4,544	0	0.0	784	784	0	0.0
गोवा	3,294	3,292	-2	-0.1	531	531	0	0.0
पश्चिमी क्षेत्र	2,58,381	2,58,284	-97	0.0	47,856	47,482	-374	-0.8
आंध्र प्रदेश	40,439	40,398	-41	-0.1	7,969	7,965	-4	-0.1
कर्नाटक	38,133	38,122	-11	0.0	8,284	8,284	0	0.0
केरल	48,850	48,495	-355	-0.7	10,061	9,871	-191	-1.9
तमिलनाडु	18,087	18,054	-33	-0.2	4,132	3,996	-135	-3.3
तेलंगाना	79,176	79,156	-20	0.0	14,823	14,823	0	0.0
पुडुचेरी	1,946	1,943	-3	-0.2	371	368	-3	-0.7
दक्षिणी क्षेत्र	2,26,632	2,26,170	-462	-0.2	42,052	41,610	-442	-1.1
बिहार	19,737	19,391	-346	-1.8	3,883	3,759	-125	-3.2
डीवीसी	13,841	13,768	-73	-0.5	2,686	2,686	0	0.0
झारखंड	5,942	5,917	-25	-0.4	1,498	1,498	0	0.0
ओडिशा	20,288	20,286	-2	0.0	4,012	4,012	0	0.0
पश्चिम बंगाल	37,271	37,156	-115	-0.3	7,931	7,886	-45	-0.6
सिक्किम	353	353	0	0.0	112	112	0	0.0
पूर्वी क्षेत्र	97,434	96,872	-562	-0.6	18,790	18,596	-194	-1.0
अरुणाचल प्रदेश	531	518	-13	-2.4	148	140	-8	-5.4
असम	7,092	6,817	-275	-3.9	1,673	1,633	-40	-2.4
मणिपुर	555	534	-21	-3.8	161	157	-4	-2.5
मेघालय	1,252	1,252	0	0.0	312	312	0	0.0
मिजोरम	372	362	-10	-2.7	97	96	-1	-1.0
नागालैंड	565	554	-11	-1.9	130	130	0	0.0
त्रिपुरा	1,057	1,039	-18	-1.7	284	284	0	0.0
पूर्वोत्तर क्षेत्र	11,421	11,068	-353	-3.1	2,487	2,475	-12	-0.5
अखिल भारत	8,64,690	8,58,646	-6,044	-0.7	1,59,542	1,56,934	-2,608	-1.6

* अनंतिम आंकड़े

राज्य सभा में दिनांक 06.02.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 406 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

2013-17 से 2016-17 (दिसंबर, 2016 तक) में स्रोत-वार और राज्य-वार उत्पादन

श्रेणी	क्षेत्र	राज्य	31.12.2016 की स्थिति के अनुसार निगरानी की गई क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन (एमयू)					
				2016-17 (दिसं., 16 तक)*	2015-16	2014-15	2013-14		
हाइड्रो	एनआर	बीबीएमबी	2866.3	8767	11818.9	10599.78	12125.01		
		हिमाचल प्रदेश	6733.02	24559.41	27087.49	23319.13	21680.66		
		जम्मू एवं कश्मीर	3119	12749.74	15136.15	14485.02	12426.79		
		पंजाब	1051	2859.22	4327.84	4039.07	3913.52		
		राजस्थान	411	601.48	1033.8	863.33	1059.98		
		उत्तर प्रदेश	501.6	915.77	935.08	1247.69	1241.73		
		उत्तराखण्ड	3756.35	11246.34	12765.92	11439.22	11025.01		
		एनआर कुल		18438.27	61698.96	73105.18	65993.24	63472.7	
		डब्ल्यूआर	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़	120	148.08	323.3	258.18	251.51
				गुजरात	1990	3462.25	2951.85	3811.58	7106.29
मध्य प्रदेश	2395			5842.68	4869.82	6299.75	9215.93		
महाराष्ट्र	2887			3934.62	4700.37	5287.88	6255.03		
डब्ल्यूआर कुल				7392	13387.63	12845.34	15657.39	22828.76	
एसआर	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	1100	638.01	671.33	1862.48	2026.57		
		कर्नाटक	3657.4	4417.27	7479.37	13160.29	13026.82		
		केरल	1881.5	3223	6363.75	6852.65	7708.18		
		तमिलनाडु	2203.2	2048.26	4474.27	5058.95	4994.75		
		तेलंगाना	2766.6	1513.22	1515.47	4400.92	4502.16		
एसआर कुल		11608.7	11839.76	20504.19	31335.29	32258.48			
ईआर	झारखण्ड	डीवीसी	143.2	220.18	176.51	267.3	225.63		
		झारखण्ड	130	30.13	51.24	33.73	109.53		
		ओडिशा	2142.25	3879.8	4910.34	6919.49	7547.45		
		सिक्किम	765	3647.24	3551.92	3345.29	2945.38		
		पश्चिम बंगाल	1278	2328.95	2025.33	2149.81	1395.56		
ईआर कुल		4458.45	10106.3	10715.34	12715.62	12223.55			
एनईआर	अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश	405	1142.86	1280.25	1109.48	980.94		
		असम	325	1305.04	1190.68	1031.89	1215.95		
		मणिपुर	105	627.88	536.64	372.44	639.84		
		मेघालय	332	842.26	1035.99	863.15	981.61		
		नागालैंड	75	243.16	163.14	165.15	245.71		
एनईआर कुल		1242	4161.2	4206.7	3542.11	4064.05			
आयात	भूटान (आयात)		5456.68	5244.21	5007.74	5597.9			
आयात कुल			5456.68	5244.21	5007.74	5597.9			
हाइड्रो कुल			43139.42	106650.5	126621	134251.4	140445.4		

थर्मल	एनआर	दिल्ली	3048.4	5180.78	6206.1	8722.83	8637.67
		हरियाणा	5971.59	15118.09	22247.14	28748.61	26374.22
		जम्मू एवं कश्मीर	175	0	0	0	0
		पंजाब	6540	18577.27	19015.05	18921.83	16817.97
		राजस्थान	8863.13	32578.78	44494.31	45600.2	35558.25
		उत्तर प्रदेश	21876.14	87203.87	106961.9	107763.5	107897.8
		उत्तराखण्ड	450	445.97			
	एनआर कुल		46924.26	159104.8	198924.5	209757	195285.9
	डब्ल्यूआर	छत्तीसगढ़	20308	76460.44	89189.99	79452.39	70678.61
		गोवा	48	0	0	12.61	241.32
		गुजरात	23657.41	71420.13	99937.24	98197.56	86339.97
		मध्य प्रदेश	17065	66288.61	90870.68	68912.72	50430.94
		महाराष्ट्र	26696	74684.34	102154.9	91751.44	78560.37
	डब्ल्यूआर कुल		87774.41	288853.5	382152.8	338326.7	286251.2
	एसआर	आंध्र प्रदेश	15247.2	47737.86	57559.26	43382.94	43500.28
		कर्नाटक	7314.42	22286.68	32401.17	30540.83	29798.63
		केरल	693.54	62.25	289.59	1181.52	1541.62
		पुडुचेरी	32.5	183.32	227.59	102.14	256.97
		तमिलनाडु	14638.88	53174.38	66460.8	61132.31	55100.82
		तेलंगाना	6682.5	28842.41	35352.73	36501.05	34650.71
	एसआर कुल		44609.04	152286.9	192291.1	172840.8	164849
	ईआर	अंडमान निकोबार	40.05	151.52	182.85	153.76	171.49
		बिहार	4535	18271.76	20827.01	18272.27	14939.36
		डीवीसी	7770	24498.02	27853.42	25283.81	27889.66
		झारखण्ड	2825	11212.25	15882.43	14588.15	14235.65
		ओडिशा	8880	38873.63	52311.46	44412.95	38664.74
		पश्चिम बंगाल	9175	37150.3	44921.29	47592.21	44674.32
	ईआर कुल		33225.05	130157.5	161978.5	150303.2	140575.2
	एनईआर	असम	877.2	3371.74	3331.44	3267.95	3149.27
		मणिपुर	36	0	0	0	0
		त्रिपुरा	1132.1	4303.45	5109.38	3824.44	2366.49
	एनईआर कुल		2045.3	7675.19	8440.82	7092.39	5515.76
थर्मल कुल			214578.06	738077.9	943787.7	878320	792477.1
न्यूक्लियर	एनआर	राजस्थान	1180	5283.3	8419.24	7722.39	9233.13
		उत्तर प्रदेश	440	2404.05	3432.6	2890.54	2703.5
	एनआर कुल		1620	7687.35	11851.84	10612.93	11936.63
	डब्ल्यूआर	गुजरात	440	0	2028.17	3529.4	3752.43
		महाराष्ट्र	1400	7864.3	10389.14	10269.89	9884.54
	डब्ल्यूआर कुल		1840	7864.3	12417.31	13799.29	13636.97
	एसआर	कर्नाटक	880	4809.77	7672.71	6462.17	6539.06
		तमिलनाडु	1440	7871.91	5471.76	5227.15	2115.13
	एसआर कुल		2320	12681.68	13144.47	11689.32	8654.19
न्यूक्लियर कुल			5780	28233.33	37413.62	36101.54	34227.79
सकल योग			263497.48	872961.7	1107822	1048673	967150.3

* वास्तविक-सह-मूल्यांकन पर आधारित अनंतिम आंकड़े

टिप्पणी: 1. केवल 25 मे.वा. एवं इससे अधिक के पारंपरिक स्रोतों (ताप, जल और परमाणु ऊर्जा) से उत्पादन

2. उपरोक्त आंकड़े संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भौगोलिक रूप से स्थित सभी विद्युत स्टेशनों (केंद्रीय, राज्य और निजी क्षेत्र) के सकल उत्पादन को दर्शाते हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-407

जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2017 को दिया जाना है ।

विद्युत उत्पादन क्षमता और मांग की स्थिति

407. श्रीमती वानसुक साइम:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केन्द्रीय बिजली बोर्ड ने अपनी प्रारूप राष्ट्रीय विद्युत योजना में यह उल्लेख किया है कि वर्ष 2022 तक अधिकतम विद्युत मांग संस्थापित उत्पादन क्षमता का लगभग आधा होगी;
- (ख) क्या कम मांग से विद्युत आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक भाग पर दबाव बढ़ेगा और परम्परागत विद्युत उत्पादन में निवेश बढ़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है;
- (ग) क्या सरकार को आगामी पांच वर्षों में तापीय विद्युत इकाइयों का संयंत्र भार कारक (पीएलएफ) वर्तमान 69 प्रतिशत से घटकर लगभग 55 प्रतिशत तक रहने की संभावना है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : प्रारूप राष्ट्रीय विद्युत योजना 2017 के अनुसार, वर्ष 2021-22 में अखिल भारतीय आधार (यूटिलिटीयां) पर विद्युत व्यस्ततम मांग 2,35,317 मेगावाट है। वर्ष 2022 तक कुल प्रत्याशित संस्थापित क्षमता 5,23,389 मेगावाट (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 1,75,000 मेगावाट शामिल है) है।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा (7) के अनुसार "कोई भी उत्पादक कंपनी ग्रिड के साथ कनेक्टिविटी से संबंधित तकनीकी मानकों को पूरा करती है तो लाइसेंस प्राप्त किए बिना उत्पादन स्टेशन स्थापित, प्रचालित और अनुरक्षण कर सकती है।

इसलिए, कोई भी निगमित निकाय अथवा व्यक्ति ग्रिड से कनेक्टिविटी से संबंधित तकनीकी संवैधानिक अनुमतियों और तकनीकी मानकों का पालन करके सरकार से अनुमति लिए बगैर ताप विद्युत उत्पादन में निवेश कर सकता है।

वर्तमान में, 71000 मेगावाट कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।

(ग) और (घ) : अवधि (अप्रैल-दिसंबर, 2016) के लिए ताप विद्युत इकाइयों का वर्तमान संयंत्र भार कारक (पीएलएफ) 59.64% रहा है। संयंत्रों के कम पीएलएफ के कारणों में, अन्य बातों के साथ-साथ उत्पादन क्षमता में तेजी से वृद्धि शामिल है जिनमें नवीकरणीय का व्यापक विस्तार दक्षता उपायों के कारण ऊर्जा के संरक्षण तथा गैस आधारित ताप विद्युत स्टेशनों के लिए गैस की कम उपलब्धता शामिल है।
